CARA

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority

वार्षिक रिपोर्ट 2017–2018
Annual Report 2017-2018

Central Adoption Resource Authority

Ministry of Women & Child Development

भारत सरकार
Government of India

www.cara.nic.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2017–2018

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

www.cara.nic.in

विषय सूची

माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, का संदेश i

माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, का संदेश iii

सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा अग्रेशित v

सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कारा) के द्वारा अभिस्वीकृति vii

अध्याय : 1 भूमिका 1

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) 1

1.2 कारा की संचालन समिति 2

1.3 कारा की सलाहकार समिति 4

1.4 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) 5

1.5 जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) 5

1.6 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) 6

1.7 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) 6

1.8 केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) एवं विदेशों में भारतीय मिशन 6

अध्याय : 2 गतिविधियां 7

2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) 7

2.2 प्रशिक्षण और विकास 9

2.3 मीडिया और प्रचार 18

2.4 निरीक्षण और निगरानी 22

2.5 महत्वपूर्ण परिपत्र और हिदायतें 22

2.6 अन्य पहलें, मुख्य उपलब्धियां और प्रशंसा 22

अध्याय : 3 वैधानिक अनुपालन 25

3.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी गई जानकारी 25

3.2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न संबंधित जानकारी 25

अध्याय : 4 डाटाबेस 26

4.1 दत्तक ग्रहण डाटा (समेकित) 26

4.2 राज्य–वार–दत्तक ग्रहण (देशीय और अंतर्देशीय) 26

4.3 देश–वार–दत्तक ग्रहण डाटा (भारतीय बच्चों के लिए अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण) 27

अध्याय : 5 अनुलग्नक 28

5.1 परिशिष्ट–क : राज्य–वार राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए) 28

5.2 परिशिष्ट–ख : राज्य–वार जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) 35

5.3 परिशिष्ट–ग : राज्य–वार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण 36

5.4 परिशिष्ट–घ : अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) 37

5.5 परिशिष्ट–ड : केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/एमईए द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण एकक, कोर्ट द्वारा विभिन्न हितधारकों के लिए जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र और परामर्श 44

अध्याय : 6 2017–2018 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े 75

सत्यमेव जयते

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे अपार हर्ष है कि मैं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूँ। कारा मेरे मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है और इसे घरेलू दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और सरल बनाने के साथ ही अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण विनियमित करने का अधिदेश है। हर एक बच्चा कामयाबी हासिल कर सकता है और उसे उसके लिए अवसर दिए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हम सभी को बेहतरी के लिए विशेषकर विशेष देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

एक सांविधिक निकाय के रूप में, कारा देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को दत्तक ग्रहण के जरिए डी–इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करके उनके सर्वोतम हित में महत्वपूर्ण कार्य करता है। कारा सक्रियता से दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का समर्थन करके और इस संबंध में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन मुद्दों का सामना कर रहा है। कारा ने **दी इंडस फाउंडेशन** द्वारा **बेस्ट टैक्नोलॉजी** और **सोसल इम्पेक्ट एक्सीलेंस** के लिए ग्लोबल स्किल समिट एंड एक्स्पो 2017 में दो पुरस्कार जीते है। कारा को 20 दिसंबर, 2017 को भारत में सर्वश्रेष्ठ 80 तकनीकी (प्रौद्योगिकी) परियोजनाओं में से केयरिंग्स के लिए **स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड** से भी पुरस्कृत किया गया है।

जैसे कि कोई भी सफर बिना कठिनाइयों के नहीं हो सकता, तो हमने भी इस वर्ष के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना किया है। प्रणाली के अंतर्गत आने वाले दत्तक बच्चों की संख्या और दत्तक के लिए इंतजार कर रहे माता–पिता की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे पास कई विशेष जरूरतों वाले और बड़े बच्चे हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल करने वाले परिवारों के साथ रखे जाने की जरूरत है। इन समस्याओं का समाधान 'केयरिंग्स' पर विशेष जरूरत और तत्काल 'प्लेसमेंट मॉड्यूल' के जरिए किया जा रहा है और विज्ञापन संबंधी विभिन्न अभियान और परामर्श के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने/बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है।

भारत सरकार दत्तक ग्रहण में बच्चों का पूल बढ़ाने, प्रक्रिया को सरल बनाने और समय सीमा के मुताबिक चलने के लिए प्रयास के साथ दत्तक ग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं पुनः कहना चाहूँगी कि बच्चों के सर्वोत्तम हित और नैतिक प्रथाएं हमारी प्राथमिकता है और मुझे उम्मीद है कि सभी हितधारक इसका संकल्प लेंगे।

मेनका संजय गांधी

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

नई दिल्ली
04 दिसम्बर, 2018

Off.: Room No. 353, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, Tel.: 23074052-54, Fax: 23387384
Resi. : 14 Ashoka Road, New Delhi-110001, Tel. : 23357088, Fax : 23354321

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
Dr. VIRENDRA KUMAR

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
महिला एवं बाल विकास और
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
AND MINORITY AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

दिनांकः 05.12.2018

संदेश

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है जिसमें कारा की मुख्य गतिविधियां और कदमों को विशेष रूप से दर्शाया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय है। हेग कन्वेंशन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना, अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण को सरल बनाना और अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है। कारा को किशोरन्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत समय–समय पर दत्तक ग्रहण संबंधित मामलों पर विनियम बनाने का दायित्व सौंपा गया है।

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के बाद, कारा ने दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए दत्तक ग्रहण कानून, नियम और विनियम में विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण देकर अनेकों कदम उठाए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों, न्यायालयों, बालकल्याण समिति आदि के सहयोग से प्रक्रिया को सरल बनाया है। हालांकि हमें अभी भी मीलों की दूरी तय करनी है, लेकिन आगे बढ़ता हर एक कदम हर एक बच्चे के लिए पारिवारिक जीवन सुनिश्चित करने की यात्रा में एक मील का पत्थर है।

मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कारा को **बेस्ट टैक्नोलॉजी** (सर्वश्रेष्ठ तकनीक) और सोशल इक्पैक्ट एक्सीलेंस (सामाजिक प्रभाव उत्कृष्टता) के लिए ग्लोबल स्किल समिट एंड एक्सपो 2017 में दी इंडस फांउडेशन द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कारा को 20 दिसंबर, 2017 को भारत में सर्वश्रेष्ठ 80 तकनीकी (प्रौद्योगिकी) परियोजनाओं में से केयरिंग्स के लिए **स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड** भी जीता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में आने वाले वर्षों में भी दत्तक ग्रहण के जरिए बच्चों के पुनर्वास संबंधी अपने हितकारी/कल्याणकारी कार्य को जारी रखेगा।

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

कार्यालय : कमरा नं. 756, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली–110 001, दूरभाष : 23382361–63, फैक्स : 23070704
Off. : Room No. 756, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, Tel. : 011-23382361-63, Fax. : 011-23070704
निवास : 22, महादेव रोड, नई दिल्ली, दूरभाष : 011-23355600, 23359855, फैक्स : 011-23359857
Resi. : 22 Mahadev Road, New Delhi-110001, Tel. : 011- 23355600, 23359855, Fax. : 011- 23359857
E-mail : vkumar@sansad.nic.in

राकेश श्रीवास्तव
सचिव
Rakesh Srivastava
Secretary

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
Government of India
Ministry of Women & Child Development
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Website : http://www.wcd.nic.in

दिनांक : 5.12.2018

संदेश

कारा की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। कारा एक सांविधिक निकाय बन गया है जिसे माता–पिता की देखभाल से वंचित सभी बच्चों को शीघ्रता से माता–पिता तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। दत्तक ग्रहण के नोडल निकाय के रूप में, समय के साथ कारा की भूमिका और अधिकार, कई गुणा बढ़ गए है क्योंकि कारा मौजूदा केंद्रीकृत प्रणाली के जरिए सभी दत्तक ग्रहण (देशीय और अंतर–देशीय) की प्रत्यक्ष रूप से निगरानी और विनियमन कर रहा है और वह यह भी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी दत्तक ग्रहण नैतिक और कानूनी रूप से निर्धारित समय–सीमा के भीतर ही किए जा रहे है।

कारा ने वर्ष भर में, अपने सांविधिक अधिदेश का निर्वहन करने के लिए निंरतर कार्य किया है और सभी दत्तक बच्चों के सर्वोतम हित को बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों की गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। वर्ष के दौरान, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य निकायों के साथ कई निरीक्षण और पत्र–व्यवहार किए गए है। इसके अतिरिक्त, कारा ने राज्य सरकार, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक के सहयोग से सभी हित धारकों के क्षमता–निर्माण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए है।

मुझे पूरा विश्वास है कि कारा, प्रतिक्रिया हस्तक्षेप से बिना प्रभावित हुए, सम्मिलित प्रयास करना जारी रखेगा और बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करेगा और इसी प्रकार सक्रियता से सरकार की ओर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा।

(राकेश श्रीवास्तव)

Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383586 Fax : 011-23381495 E-mail : secy.wcd@nic.in

सत्यमेव जयते

Deepak Kumar
Member Secretary
& Chief Executive Officer

CARA

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

अभिस्वीकृति

कारा की वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अवसर पर मैं कारा की ओर से और सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने सामर्थ्य अनुसार अपने सभी हितधारकों का धन्यवाद देता हूँ।

कारा मजबूत, पारदर्शी और अपने वादा को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित है। हम समय सीमा के मुताबिक चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे संस्थानों में कम समय के लिए रहे और कानूनी दस्तावेजों को प्राप्त करने में दत्तक माता–पिता को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। यह विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, जिला बाल सरंक्षण एकक, बाल कल्याण समिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले अभिकरण, आरपीओ, न्यायालय और माता–पिता के सहयोग से संभव हो पाया है जो बच्चों के सर्वोतम हित को प्राथमिकता देने के सिद्धांत को पूरा करने में हमारी सहायता कर रहे हैं।

एक सांविधिक निकाय बनने के बाद, हमारे कार्य कई गुना बढ़ गए हैं। हम श्रम शक्ति की अत्यंत कमी जैसी अनेक चुनौतियो का सामना कर रहे है। आज हमारे पास कई माता–पिता ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं और दत्तक–ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त बच्चों की संख्या में से एक बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए इंतजार कर रहे हैं। जबकि, हम इस परेशानी के समाधान के लिए कई सीसीआई को राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे है। कुल 5365 पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों में से, 3778 संस्थान पहले ही हमसे जुड़ चुके हैं और शेष संस्थानों को भी कारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम न्यायालय में लंबित मामलों की मुख्य समस्या का भी सामना कर रहे हैं जिसके लिए भारत सरकार का सकारात्मक रूप है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण मीडिया में बढ़ती अपनी पहचान और प्रशिक्षण के जरिए अनौपचारिक दत्तक ग्रहण की चुनौती का सामना करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। कारा ने अपना रोडमैप भी तैयार किया है ताकि किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियमों के उचित कार्यान्वयन द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के सहायता से बिना किसी परेशानी के कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके अतिरिक्त, हमारा लक्ष्य सभी दत्तक योग्य (अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित) बच्चों का पता लगाकर प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्यार–भरा परिवार का पता लगाना है। मैं कारा के सभी अधिकारियों और कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके प्रयासों से कारा को दो पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। हमें उम्मीद है कि दत्तक ग्रहण प्रकिया को सरल बनाने और व्यवस्थित करने के लिए अपने सभी हितधारकों के सहयोग से हम इसी भावना के साथ काम करते रहेंगे।

दीपक कुमार

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

West Block-8, Wing-IV, Ist Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066. Phone : 011-2610 6725, Fax: 011-2618 0198, Mobile : 8588868739
E-mail: deepakkumar.668m@gov.in, captdkumar@gmail.com, Website: www.cara.nic.in

परिवर्णी शब्द

एआर	:	दत्तक ग्रहण विनियम
एएफएए	:	अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सीए	:	केंद्रीय प्राधिकरण (बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण)
सीएआरए	:	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	:	बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
सीसी	:	अनुपालन प्रमाण पत्र
सीसीआई	:	बाल देखभाल संस्थान
सीडब्ल्यूसी	:	बाल कल्याण समिति
डीसीपीयू	:	जिला बाल संरक्षण एकक
डीसीपीओ	:	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
एचएसआर	:	गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपीएस	:	समेकित बाल संरक्षण स्कीम,
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीएम	:	भारतीय राजनायिक मिशन
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण
जे जे एक्ट	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
जे जे नियम	:	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआरआई	:	अनिवासी भारतीय
ओएएस	:	अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित
ओसीआई	:	भारत के विदेशी नागरिक
पीएपी	:	भावी दत्तक माता–पिता
एसएए	:	विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएआरए	:	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएनसी	:	विशेष जरूरतों वाले बालक

अध्याय : 1

भूमिका

दिनांक 24 अक्टूबर 2017 को भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में माननीय श्रीमती मेनका संजय गांधी, केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, के वरिष्ठ अधिकारी

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

1.1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना जून 1990 में कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण के विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य हेतु की गई थी जिसका मुख्य कार्य देखभाल व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए प्यार–भरे परिवारों का पता लगाना है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 02 जुलाई, 1998 के निर्णय के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 'पंजीकृत कर 18 मार्च, 1999 को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत दत्तक ग्रहण से संस्थागत बच्चों के दत्तक ग्रहण प्लेसमेंट में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त अभिकरणों और प्राधिकरणों की भागीदारी से बच्चों का दत्तक ग्रहण में प्लेसमेंट संभव हो सका है।

1.1.2 15 जनवरी, 2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण), 2015 की धारा 68 के माध्यम से कारा ने देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल निकाय और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के विनियमन हेतु अधिदेश के साथ एक सांविधिक निकाय का स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से सभी देशीय और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। कारा की महत्वकांक्षा संस्थागत देखभाल के अधिकतम बच्चों को दत्तक परिवारों के साथ रखने की है। वर्ष 2008 में इसे बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बावत सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत केंन्द्रीय

प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का प्रमुख सदस्य सचिव एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसकी संस्वीकृत क्षमता 27 अधिकारियों एंव कर्मचारियों की है।

1.1.3. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतू अधिदेश दिया गया है–

(क) देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करके अंतरराज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना;

(ख) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करना;

(ग) समय–समय पर बालकों के संरक्षण और दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों पर ऐसे विनियमनों की संरचना करना, जो आवश्यक हो;

(घ) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन के अधीन तहत केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों में कार्या चिन्ह्न करना;

ड) दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 37 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य;

1.1.4 **कारा का उद्देश्य** – बच्चों के सर्वोत्तम हित, भावी दत्तक माता पिता को सुविज्ञ निर्णय लेने, सक्षम बनाने के लिए नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोण से ऑनलाइन पंजीकरण, रेफरल (वरिष्ठता के आधार पर), बच्चा आरक्षित करना और मिलान व पारदर्शिता हेतू ऑफलाइन मिलान को सुनिश्चित करना। नई बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उद्यमान प्रौद्योगिकी है और ई–शासन के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को भी कम करती है।

1.1.5 **कारा का विज्ञान** – देश में प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित बच्चे के लिए पालन–पोषण एवं देखभाल करने वाले परिवार की तलाश करना है। कारा का मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चो के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के क्रियाकलापों में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता पिता को सुविधायें प्रदान करना है।

1.2 कारा की संचालन समिति

1.2.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति का गठन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 22/3/2017 के कार्यालय ज्ञापन सं.– सीडब्ल्यू–II/26/7/2015– सीडब्ल्यू–II के द्वारा 15/01/2016 से दो वर्षों के कार्यकाल हेतु किया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति की संरचना नीचे दी गई है–

(क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष–पदेन;

(ख) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्राधिकरण से संबंधित है –पदेन;

(ग) वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार–पदेन;

(घ) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से एक सदस्य;

(ड) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से दो सदस्य;

(च) एक दत्तक माता–पिता;

(छ) एक दत्तक;

(ज) एक वकील या प्रोफेसर जिसे परिवार कानून के बारे में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(झ) सदस्य सचिव, जो संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगें।

1.2.2 अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और कार्यकाल निम्नानुसार है–

क्रम. सं.	नाम और पद का विवरण	पद
(क)	सुश्री लीना नायर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 601, छठी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (01/06/2016 से 11/05/2017 तक की अवधि) श्री राकेश श्रीवास्तव सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 601, छठी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (11/05/2017 से आज तक की अवधि)	अध्यक्ष (पदेन)
(ख)	सुश्री रश्मि सक्सेना साहनी संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (27/04/2015 से 08/05/2017 तक की अवधि) सुश्री आस्था सक्सेना खटवानी संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (19/05/2017 से)	सदस्य (पदेन)
(ग)	सुश्री सरिता मित्तल संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (01/02/2012 से 05/05/2017 तक की अवधि) सुश्री मीरा रंजन शेरिंग संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 (17/05/2017 से)	सदस्य (पदेन)
(घ)	श्री लाहूराज माली आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, दूसरी मंजिल, 28 प्रिंस गार्डन, कोरेगांव पाक्र रोड, पुराने सर्किट हाउस के पास, पुणे, महाराष्ट्र –411001 {राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा), महाराष्ट्र के प्रतिनिधि}	सदस्य
(ड)	सुश्री विजन्दिरा बोई निदेशक, महिला विकास एवं बाल कल्याण, तेलंगाना सरकार, डी.नं. 8–3–222, वेंगल रॉव नगर, अमीरपेट, स्टेट होम कैम्पस, यूसुफगुडा रोड, हैदराबाद, तेलंगाना–599938 (शिशु गृह, महिला एंव बाल विकास विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की प्रतिनिधि)	सदस्य

(च)	सुश्री गीताश्री अधिकारी करुणा डब्ल्यूबी महिला एवं बाल कल्याण सोसाइटी, 234, श्री राम डांग रोड, साईकिया, हावडा, पश्चिम बंगाल– 711106 (विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
(छ)	श्री अविनाश कुमार ओ–51, निवेदिता कुंज, सैक्टर–10, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 (दत्तक माता–पिता)	सदस्य
(ज)	सुश्री समीहा ग्रेवाल जे–231, प्रथम मंजिल, साकेत, नई दिल्ली–110017 (दत्तक)	सदस्य
(झ)	श्रीमती किरण सिंह 201–ए, डैल ब्लाक, 1/2 वैभव खंड, इंदिरा पुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (वकील)	सदस्य
(ञ)	श्री दीपक कुमार सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वेस्ट ब्लाक–8, विंग –2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 (11/07/2016 से)	सदस्य सचिव (पदेन)

1.3 कारा के लिए सलाहकार समिति

1.3.1 दिनांक 23/02/2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतू समिति के गठन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि हेतु सलाहकार समिति का गठन किया है। कारा की सलाहकार समिति में वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 16 सदस्य हैं।

1.3.2 अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और उनके कार्यकाल का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्रम.सं.	नाम	पदनाम	कार्यकाल
(क)	श्री एम.रामाचंद्र रेड्डी हैदराबाद, तेलंगाना	अध्यक्ष	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ख)	श्री दुर्गेश केशवानी भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ग)	श्रीमती सुबला नकवी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(घ)	श्रीमती पदमा श्रीनिवास बैंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ड)	डॉ.नीलिमा मेहता मुम्बई, महाराष्ट्र	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(च)	प्रोफेसर जयदेव मजुमदार कोलकता, पश्चिम बंगाल	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(छ)	सुश्री एनी मंगस्तबम इंफाल, मणिपुर	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(झ)	श्री शिवानंद एम.डम्बल बैंगलुरु, कर्नाटक	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक

(ञ)	श्रीमती आर.के. प्रमोदिनी देवी इंफाल (पश्चिम) मणिपुर	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ट)	श्री मनोज सिंघल चितरंजन पार्क, नई दिल्ली	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ठ)	श्रीमती सुषमा खरकवाल लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ड)	सुश्री दीपा विजय भंडारी बेलगांव, कर्नाटक	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ढ)	श्री के. वासू बाबू गोदावरी (पू), आंध्र प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(ण)	श्री नितिन भार्गव लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(त)	श्रीमती सत्या शर्मा न्यू उस्मानपूर, दिल्ली	सदस्य	12/04/2016 से 11/04/2018 तक
(थ)	प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण	सचिव	12/04/2016 से 11/04/2018 तक

1.4 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)

1.4.1 समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) को राज्य में बालकों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। इसमें सारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में समन्वय, निगरानी और उसका विकास करने, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की स्थापना में सहायता करने, ऐसे सभी अभिकरणों की एक व्यापक सूची का रख रखाव करने, यह सुनिश्चित करने कि बालकों के सभी दत्तक ग्रहण/स्थायी स्थानन विधि और दत्तक ग्रहण विनियम के अनुसार हों, जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) की सहायता से विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन योग्य बालकों का एक केंद्रीयकृत वेब आधारित डाटाबेस का रखरखाव करने, बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के साथ लिंकेज को बढ़ावा देने से दत्तक ग्रहण अभिकरण के कार्य का पर्यवेक्षण करने की अपेक्षा की जाती है यह अभिकरणों और सीसीआई के बीच समन्वय भी सुनिश्चित करता है और दत्तक ग्रहण से पूर्व तथा दत्तक ग्रहण स्तर पर दोनों के दौरान दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में होने वाले विलंब का समाधान करने का प्रयास करता है। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों की सूची **परिशिष्ट–क** पर है। सारा से विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा और इसके साथ ही ऐसे अभिकरणों को मान्यता अथवा नवीकरण प्रदान किया जाए तो उसके पत्र और प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

1.5 जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू)

1.5.1 डीसीपीयू समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित जिला बाल संरक्षण अभिकरण हैं। वे जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करने और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित करवाने के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) या बाल देखरेख संस्था (सीआईसी) की सहायता की भी आवश्यकता होती है। एसएए द्वारा बाल अध्ययन रिपोर्ट ओर चिकित्सा जांच रिपोर्ट बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड कर दी जाए, और दत्तक ग्रहण को सुकर बनाने के लिए उसी अथवा अन्य जिलों में एसएए के साथ बाल देखभाल संस्थान के लिंकेज को सुकर बनाया जायें ओर प्रत्येक दत्तक ग्रहण बच्चे की स्थिति की भी जांच की जाए।

1.5.2 इसके अतिरिक्त, इनसे यह अपेक्षित है कि जहां कहीं आवश्यकता हो, वे सीडब्ल्यूसी की प्रत्यावर्तन के प्रयासों और समाचार–पत्रों में बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परिवीक्षा अधिकारी से बहाली के प्रयासों और समाचार–पत्र में बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट और एसएए की सहायता से पुलिस से पता लगाने योग्य रिपोर्ट प्राप्त करने में सहायता सहित दत्तक ग्रहण हेतु परित्यक्त बच्चों को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कराने की प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेंगे। संबंधित सारा के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से संवर्द्धित डीसीपीयू के राज्य वार आंकड़े **परिशिष्ट–ख** में दी गई है।

1.6 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए)

1.6.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65(1) के अनुसार राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर–संस्थागत देखभाल के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बच्चों के पुर्नावास के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा निर्दिष्ट रीति से, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रुप में प्रत्येक जिले में एक अथवा अधिक संस्थाओं या संगठनों को मान्यता देगी।

1.6.2 एसएए की देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। एसएए दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास में भावी दत्तक माता–पिता की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दत्तक ग्रहण किए जाने वाले प्रत्येक बालक के आनॅलाइन डाटाबेस का रख–रखाव करता है और बच्चों से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार करता है। यह भावी दत्तक माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट भी दत्तक ग्रहण मार्गदर्शी सिद्धांत 2015 में यथानिर्दिष्ट तरीके से तैयार करता है। वर्तमान में, दत्तक ग्रहण (देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण) में बालकों को रखने हेतु, उनके संबंधित राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर–सरकारी, दोनों प्रकार के अभिकरण है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण के राज्य वार आंकड़े **परिशिष्ट–ग** में दिए गए है।

1.7 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)

1.7.1 कारा विदेशों में रह रहे भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) जिनमें अनिवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई), एवं विदेशी शामिल हैं, के आवेदनों को प्रयोजित करने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करता है। ये अभिकरण अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामलों की कार्रवाई करने हेतु प्राप्तकर्ता देशों में मान्यता प्राप्त प्राधिकृत अभिकरणों के रुप में जाने जाते है (हेग कन्वेंशन में यथा परिभाषित)। एएफएए से भारत से बच्चों का दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता को पंजीकृत करना और उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को जल्दी से पूरा करना; केंद्रीय प्राधिकरण से दत्तक ग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के बाद शीघ्र दत्तक ग्रहण सुनिश्चित करने हेतू एसएए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और दत्तक ग्रहण मार्गदर्शी सिद्धांत 2017 में उनके लिए यथा अधिदेशित अन्य कार्यकलाप करना अपेक्षित होता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों के देश–वार आंकडे **परिशिष्ट–घ** पर संलग्न हैं।

1.8 केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) और विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन–

1.8.1 हेग अनुसमर्थित कुछ देशों में, केंद्रीय प्राधिकरण, (कारा के समकक्ष) भारत से दत्तक–ग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता के मामलों को प्रायोजित एवं पंजीकृत करते हैं। कुछ गैर–हेग अनुसमर्थित देशों में, भारतीय राजनयिक मिशन अनिवासी भारतीय और प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा भारत से दत्तक ग्रहण करने के मामलों को प्रयोजित करने में लगे हुए है।

अध्याय : 2

गतिविधियां

2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स)

2.1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय जो कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु ऑनलाइन केन्द्रीकृत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) तकनीकी सहयोग के लिए ई–गर्वनेंस पहल विकसित की है।

2.1.2 यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली एसएए/सीसीआई द्वारा बच्चों के ब्यौरों की प्रविष्टि करने के लिए एक पारदर्शी एंव पूर्ण रूप से स्वचालित प्रणाली के साथ–साथ भावी दत्तक माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए पंजीकरण उपलब्ध कराती है। यह शीघ्र और सुचारु दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुकर बनाती है जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन अभिकरणों की जवाबदेही पक्षकारों का नेटवर्क तैयार करता है, और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा आधार पर रख–रखाव करता है। केयरिंग्स राष्ट्रीय स्तर पर कारा द्वारा और राज्य स्तर पर सारा द्वारा और जिला स्तर पर डीसीपीयू द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया और दत्तक ग्रहण के बाद की प्रक्रिया पर ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

2.1.3 केयरिंग्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

क) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना।

ख) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में हो रहे विलंब को कम से कम करना।

ग) भावी दत्तक माता–पिता को सुविज्ञ निर्णय लेने हेतू सक्षम बनाना।

घ) नीतिगत निर्णय लेने में सहायता के लिए डाटाबेस से प्रज्ञ विश्लेषण प्राप्त करना।

ड.) केंद्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर सारा दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण के पश्चात् की प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी प्रदान कर दत्तक ग्रहण प्रणाली में सुधार लाना।

च) अध्यवसायी नीति नियोजन के लिए एक डाटाबेस तैयार करना।

छ) अभिभावकों को माता–पिता की देखभाल के बिना रह रहे बच्चों का पूरा डेटाबेस रखने के लिए दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल देखभाल संस्थानों के बीच संपर्क बनाना ताकि उन्हें जल्द से जल्द परिवार में स्थापित किया जा सके।

झ) बेहतर मिलान के लिए और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता–पिता की सहायता करने के लिए उन्हें प्रासंगिक जानकारी और स्थिति की जांच उपलब्ध कराकर बच्चे और माता–पिता की प्रोफाइल बनाने में समर्थकृत करना।

2.1.4 केयरिंग्स के लाभ–

क) केयरिंग्स देश भर में लगभग 449 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, 571 जिला बाल संरक्षण एककों और 32 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों को तथा अन्य करार देशों के केंद्रीय प्राधिकरणों, 255 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों/केंद्रीय प्राधिकरणों जैसे अंतराष्ट्रीय निकायों और विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों को भी कारा से जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

ख) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का केन्द्र बन चुकी है और ई–गर्वनेंस साधन के रूप में उत्कृष्ठता हासिल कर चुकी है। इसे एक ऐसी प्रणाली या प्लेटफॉर्म के रूप में अभिहित किया गया है जिनके माध्यम से कानूनी दत्तक ग्रहणों पर कार्रवाई की जाएगी।

ग) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार देश में और अंतरदेशीय बाल दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मूल्याकंन के लिए केयरिंग्स सहायक रही है।

घ) केयरिंग्स बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बावत सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत जिनका भारत एक अनुबंध देश है अंतराष्ट्रीय संलेख की भी पुष्टि करती है और राष्ट्रीय कानूनों की भी पुष्टि करती है।

ड) सभी स्तरों पर केयरिंग्स के प्रभाव को व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है तथा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में एक नई प्रणाली के रूप में इसकी सरहाना की जा रही है।

च) ऑनलाइन शिकायत निवारण मॉड्यूल– वर्ष 2017 में कारा ने केयरिंग्स पर ऑनलाइन जानकारी/शिकायत मॉड्यूल की शुरूआत की जिसे कारा की वेबसाइट www.cara.nic.in के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली एक शिकायत पंजीकरण और ट्रेकिंग प्रणाली है जो शिकायतों के पंजीकरण हेतु इंटरनेट, फोन और ई–मेल का उपयोग करती है।

छ) इस प्रकार केयरिंग्स के निम्नलिखित तरीकों से संगठन की सहायता की है–

(i) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी से विभिन्न स्तरों पर हो रहे विलंब को समझने और प्रणाली की खामियों को दूर करने में सहायता मिलती है।

(ii) डाटा विश्लेषण पर समयबद्धता तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने को संभव बनाता है।

(iii) केयरिंग्स पर दत्तक ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण किया जाता है।

(iv) भावी दत्तक माता–पिता का ऑनलाइन पंजीकरण होता है।

(v) विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों का शीघ्र स्थापन किया जाता है।

(vi) दत्तक ग्रहण के बाद ऑनलाइन अनुवर्ती कार्रवाई सम्पादित की जाती है।

(vii) एसएए के साथ संपर्क के माध्यम से अन्य सीसीआई में स्थानन किए गए बच्चों का दत्तक ग्रहण कार्य संपन्न होता है।

(viii) देशीय दत्तक ग्रहण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

2.1.5 विभिन्न प्रचालित मॉड्यूल

क) भावी दत्तक माता–पिता, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेतु देश में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु मॉड्यूल ।

ख) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक, और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिरकरण हेतु अनाथ, परित्यक्त एवं अभयर्पित बच्चों के अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण हेतु मॉड्यूल।

ग) भावी दत्तक माता–पिता, सारा, डीसीपीयू एवं कारा हेतु देश में नातेदारी दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।

घ) सारा, डीसीपीयू, एसएए एवं कारा हेतु अंतरदेशीय नातेदारी दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।

ड) भावी दत्तक माता–पिता, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेतु सौतेले माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।

च) शिकायत पोर्टल

छ) अंतरदेशीय भावी दत्तक माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की स्थिति का पता लगाने हेतु मॉड्यूल

2.1.6 समय की जरूरतों और आवश्यकता के आधार पर केंयरिंग्स में समय–समय पर उन्नयन किया गया है।

2.2 प्रशिक्षण और विकास

2.2.1 वर्ष 2017–18 के दौरान, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के प्रावधानों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान उभर कर आए मुद्दों/सरोकारों को हल करने के संबंध में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, संचेतना कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम आयोजित किये। उपरोक्त वर्णित चर्चा के विवरण निम्नानुसार सूचीबद्ध है : –

क्रम.सं.	कार्यक्रम का प्रकार	वर्ष 2017–18 के दौरान किए गये कार्यक्रम के संख्या
1.	राज्य/केंद्र शासित राज्य सरकारों के सहयोग से कारा द्वारा बहु–पक्षकारों के लिए दत्तक ग्रहण पर आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम	27
2.	न्यायिक अधिकारियों/न्यायधीशों संकाय के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों और साथ–साथ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में दत्तक ग्रहण पर अभिविन्यास–सह–संचेतना कार्यक्रम	14
3.	24 अक्तूबर, 2017 को भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित राज्य प्रशासन द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर आयोजित समीक्षा बैठक।	01
4.	15 नवंबर, 2017 को भारतीय प्रवासी केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित दत्तक ग्रहण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	01

2.2.2 **राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम**– जिनमें बहु–हितधारक प्रतिभागियों के लिए राज्य स्तरीय अभिविन्यांस कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए), जिला बाल संरक्षण एककों, बाल कल्याण समितियों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, दत्तक ग्रहण मामलों से संबंधित राज्य सरकार के विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले कार्यालय के प्रतिनिधियों, निपसिड के संकाय तथा दत्तक माता–पिता शामिल है। पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए :

क्रम. सं.	कार्यक्रम की तिथि	राज्य	शहर	प्रतिभागियों की संख्या
(क)	12 अप्रैल, 2017	असम	गुवाहाटी	187
(ख)	21 अप्रैल, 2017	नागालैंड	कोहिमा	135
(ग)	28 अप्रैल, 2017	मिजोरम, आइजोल	आइजोल	129
(घ)	11 मई, 2017	केरल	तिरूवनंतपुरम	120
(ड)	15 मई, 2017	झारखण्ड	रांची	111
(च)	23 जून, 2017	पुदुचेरी	पुदुचेरी	100
(छ)	20 जून, 2017	दादर नागर हवेली	सिलवासा	100
(ज)	21 जुलाई, 2017	दमन और द्वीप	नानी दमन	110

(झ)	01 अगस्त, 2017	हरियाणा	पंचकुला	160
(ञ)	11 अगस्त, 2017	पश्चिम बंगाल	कोलकता	120
(ट)	01 सितंबर, 2017	ओडिसा	भुवनेश्वर	100
(ठ)	16 सितंबर, 2017	मणिपुर	इंफाल	150
(ड)	16, 23 सितंबर 2017 और 7 एवं 14 अक्तूबर, 2017	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में जिला स्तरीय 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम	नई दिल्ली	200
(ढ)	23 जनवरी, 2018	महाराष्ट्र	पुणे (मुम्बई, नासिक और पुणे के संभागों के लिए)	95
(ण)	23 जनवरी, 2018	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	51
(त)	24 जनवरी, 2018	महाराष्ट्र	पुणे (अमरावती, औरंगाबाद और नागपुर संभागों के लिए)	70
(थ)	23 फरवरी, 2018	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की सलाहाकार समिति की महाराष्ट्र राज्य के हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक	पुणे	122
(ड)	17 मार्च, 2018	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (अवध और बुंदेलखंड संभागों के जिलों के लिए)	40
(ध)	19 मार्च, 2018	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (पूर्वांचल संभागों के जिलों के लिए)	90
(न)	21 मार्च, 2018	कर्नाटक	बैंगलोर (बैंगलोर और कलबुर्गी संभागों के लिए)	250
(प)	22 मार्च, 2018	कर्नाटक	बैंगलोर (मैसूर और बेलागावी विभाग के लिए)	250
(फ)	22 मार्च, 2018	सिक्किम	गंगटोक	131
(ब)	23 मार्च, 2018	केरल	एर्नाकुलम	110
(भ)	23 मार्च, 2018	बिहार	मुजफ्फरपुर	35

दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय केंद्रीय मंत्री, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, मात्री मंदिर, गुवाहाटी, असम का दौरा किया

दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को गुवाहाटी, असम में

दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को कोहिमा, नागालैंड में

दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को आईजोल, मिजोरम में

दिनांक 11 मई, 2017 को तिरूवंनतपुरम, केरल

दिनांक 15 मई, 2017 को रांची, झारखंड में

दिनांक 23 जून, 2017 को पुदुचेरी में

दिनांक 20 जुलाई, 2017 को सिलवासा, दादर नागर हवेली में

दिनांक 21 जुलाई, 2017 को दमन और द्वीप में

दिनांक 11 अगस्त, 2017 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में

दिनांक 16 सितंबर, 2017 को इंफाल, मणिपुर में

दिनांक 23 जनवरी, 2018 को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में

दिनांक 23 और 24 जनवरी, 2018 को पुणे, महाराष्ट्र में

दिनांक 17 और 19 मार्च, 2018 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में

दिनांक 23 मार्च, 2018 को केरल में

2.2.3 **न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** – राष्ट्रीय/राज्य स्तर न्यायिक अकादमियों में न्यायिक अकादमियों के संकायों और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों (जिला न्यायालय के और परिवार न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीशों) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। निम्नलिखित न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये –

क्रम. सं	कार्यक्रम की तिथि	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागियों की संख्या
(क)	01 और 02 अप्रैल, 2017	**राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल** में भारत में न्याय बोर्डों के कामकाज पर वार्षिक राष्ट्रीय संगोष्ठी	47
(ख)	08 और 09 अप्रैल, 2017	**राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल** में न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के तहत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	73
(ग)	15 अप्रैल, 2017	**दिल्ली न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली** में न्यायिक अधिकारियों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
(घ)	16 अप्रैल, 2017	**बिहार न्यायिक अकादमी, पटना, बिहार** में न्यायधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के तहत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	125
(ड)	29 और 30 अप्रैल, 2017	**ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक** में न्यायधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के तहत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	219
(च)	19 और 20 मई, 2017	''**दिल्ली न्यायिक अकादमी** में अन्य हितधारकों हेतु क्षमता निर्माण सम्मेलन''	55
(छ)	15 जुलाई, 2017	**मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी, जबलपुर** में न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015, और दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के तहत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	50
(ज)	28 जुलाई, 2017	**दिल्ली न्यायिक अकादमी, नई दिल्ली** में न्याय निर्वचन में ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति के एकीकरण पर सम्मलेन	13
(झ)	29 और 30 जुलाई, 2017	**महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, मुबंई** में न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015, और दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के तहत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कायक्रम	33
(ञ)	31 जुलाई, 2017	**कड़कड़डूमा कोर्ट, नई दिल्ली** के न्यायिक अधिकारियों के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में किशोर न्याय प्रणाली पर अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम	58
(ट)	12 अगस्त, 2017	**राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल** में दत्तक ग्रहण पर अतिरिक्त जिला न्यायधीशों के लिए कार्यशाला	35
(ठ)	06 सितंबर, 2017	द्वारका जिला न्यायालय, नई दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20
(ड)	13 सितंबर, 2017	पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20
(ढ)	05 नवंबर 2017	**तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी, चेन्नई** में न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015, और दत्तक ग्रहण के विनियम 2017 के तहत बाल दत्तक ग्रहण पर न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	110

दिनांक 08 और 09 अप्रैल को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में

दिनांक 16 अप्रैल, 2017 को बिहार न्यायिक अकादमी, पटना में

दिनांक 15 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी, जबलपुर में

दिनांक 29 और 30 जुलाई, 2017 को महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, मुबंई में

दिनांक 24 मार्च, 2018 को कटक में क्षेत्रीय परामर्श

दिनांक 05 नवंबर, 2017 को तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी, चेन्नई में

2.2.4 राज्यों एंव केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक–चुनौतियां एंव आगे की योजना–कारा ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 को भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में राज्यों एंव केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव, जो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) के अध्यक्ष हैं और संबंधित विभाग के निदेशक, जो सारा के सदस्य सचिव है, बैठक में आमंत्रित थे और उन्होंने बैठक में भाग लिया। बैठक के निम्नलिखित उद्देश्य थे–

क) राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे दत्तक ग्रहण कार्यक्रम से संबंधित मामले एवं सहकारों और विशेषकर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बाल संरक्षण एककों और बाल कल्याण समितियों की भूमिका पर चर्चा।

ख) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को आगे और सरल बनाने, विनियमित करने और उसमें तेजी लाने के लिए अच्छी प्रथाओं और आगे की योजना को साझा करना।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 को भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की झलक

2.2.5 **दत्तक ग्रहण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी–**

क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने हौसला, 2017 (14 नवम्बर से 20 नवम्बर, 2017 तक बाल सप्ताह समारोह) आयोजित किया जिसमें बच्चों के उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी से संबंधित मामलों पर बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं। इसके क्रम में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को ''प्रवासी भारतीय केंद्र'' चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 'दत्तक ग्रहण पर 'राष्ट्रीय संगोष्ठी' आयोजित की। संगोष्ठी निम्निलिखित पर केंद्रित थी–

i) तंत्रों एवं कार्यनीति का विकास करना ताकि सारा और राज्य के अन्य पदाधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर शिकायतें का समाधान करने के लिए और सभी स्तरों पर सभी संबंधित लोगों को सहायता एंव समर्थन प्रदान करने के लिए सशक्त किया जा सके।

ii) दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में परामर्श की महत्वता एवं दत्तक ग्रहण हेतु बड़े बच्चों को तैयार करना और

iii) देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना

ख) संगोष्ठी में 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें एएफएए, डीसीपीयू, सारा के प्रतिनिधि, एसएए के प्रतिनिधि, वयस्क दत्तक, भावी दत्तक माता–पिता, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, एमिटी विश्वविद्यालय, और निपसिड के सामाजिक कार्य विभाग के विद्यार्थी शामिल थे।

दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रवासी केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में दत्तक ग्रहण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

2.2.6 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का तीसरा वार्षिक दिवस–

क) कारा ने 15 जनवरी, 2018 को अपने तीसरे वार्षिक दिवस को मनाने के लिए एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन किया क्योंकि कारा 15 जनवरी, 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय बना था। कार्यक्रम के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं : –

i) कारा की संचालन समिति के पदेन सदस्यों को सम्मानित करना;

ii) कारा के वर्ष 2018 के कैलेण्डर का लोकार्पण; और

iii) कारा की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुश्री साक्षी तंवर के साथ कारा के वीडियो स्पॉट्स का लोकार्पण।

ख) वार्षिक दिवस समारोह में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग के निदेशक जो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के सदस्य सचिव हैं, दिल्ली से विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, जिला बाल संरक्षण एककों, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि, कारा की सलाहकार समिति के सदस्य, कारा की संचालन समिति के सदस्य, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सभी सांविधिक स्वायत्त निकायों (एनसीपीसीआर, निपसिड, एनसीडब्ल्यू, सीएसडब्ल्यूबी, आरएमके) के अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी एंव सलाहकार आदि शामिल हैं।

दिनांक 15 जनवरी, 2018 को एनसीयूई सभागार, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का तीसरा वार्षिक दिवस समारोह

2.3 मीडिया और प्रचार

2.3.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण स्वयं अथवा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 में यथा निर्दिष्ट अपने संबंधित निकायों द्वारा दत्तक ग्रहण एंव अन्य गैर–संस्थागत बाल देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्थन, जागरूकता और सूचना, शिक्षा एंव संप्रेषण गतिविधियों का संचालन करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान मीडिया विज्ञापन एवं प्रचार गतिविधियों की विशेषताएं इस प्रकार है–

(क) जन–संपर्क–केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान प्रत्येक तीन माह में एक दिन '**जन–संपर्क**–किया ताकि शिकायत/शंका निवारण तंत्र का निर्माण किया जा सके जिसमें दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों पर लोगों की शंकाओं के निवारण एवं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लोगों एवं प्राधिकरण के बीच सीधे संवाद के लिए स्थान सृजित किया जाता है वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 03 जन–संपर्क सत्र आयोजित किए गए।

(ख) **सीईओ फेसबुक लाइव क्यू एंड ए सत्र**–फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सीईओ, कारा श्री दीपक कुमार 'लाइव क्यू एंड ए' का एक प्रत्यक्ष शिकायत ऑनलाइन निवारण तंत्र तैयार किया गया था। बाल दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी शंकाओं/प्रश्नों के उत्तर 'कारा से पूछे' पर दिए गए हैं।

(ग) ऑनलाइन शंका/ शिकायत मॉड्यूल – ऑनलाइन शंका/शिकायत मॉड्यूल चालू किया गया जिसे कारा की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी शिकायतों या शंकाओं का जवाब तीन कार्य दिवसों के भीतर दें दिया जाए तथा संदर्भ संख्या एवं दिए गए मोबाइल नं/ईमेल का उपयोग करके स्थिति की जांच की जा सकती है या बाद में अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है।

(घ) **प्रिंट विज्ञापन करना**–कारा अपने कार्यक्रमों के समर्थन के लिए प्रिंट विज्ञापनों के महत्व और निम्न के लिए बच्चों की रिपोर्ट करने और भावी दत्तक माता–पिता को परामर्श सुविधाओं के प्रावधान के बारे मे इसकी पहुंच को समझता है। इस वर्ष के दौरान दो बार प्रिंट विज्ञापन जारी किए गए।

(ड) **होर्डिंग के माध्यम से समर्थन**–दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होर्डिंग लगाकर परामर्श अभियान की भी शुरूआत की गई।

(च) **एसएमएस के माध्यम से समर्थन**–कानूनी दत्तक ग्रहण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान भी शुरू किया गया जिसमें 22 राज्यों को शामिल किया गया।

i) लवारिस बच्चा जो पाओ, पुलिस के पास जाओ या चाइल्डलाइन नं 1098 मिलाओ।

कारा– केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

ii) छोटी उम्र की हो गलती तो जरा भी न घबराना, पालना को चुन कर बच्चे का जीवन बचाना।

कारा–केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

iii) विशिष्ट जरूरतमंद या बडे बच्चों का दत्तक ग्रहण करना मुश्किल है परंतु प्यार करना नहीं।

कारा– कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण करें, जानकारी के लिए www.cara.nic.in वेबसाइट देखें या टोल फ्री नं 1800 111 311पर संपर्क करें।

iv) बच्चा चाहो जो तुम लेना, कारा को तुम जानो, पंजीकरण करवाना अपना, सही विधि को मानो। www.cara.nic.in वेबसाइट को देखें या टोल फ्री नं 1800 111 311 पर संपर्क करें।

कानूनी तरीके से बच्चा अपनाये। किसी भी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.cara.nic.in देखें या टोल फ्री नं 1800 111 311 से संपर्क करें।

(छ) न्यूजलेटर–दत्तक ग्रहण संबंधी नीतियों और कारा द्वारा की गई गतिविधियो को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हुए न्यूजलेटर 'किलकारियां' कारा की अधिकारिक वेबसाइट www.cara.nic.in पर प्रकाशित किया गया।

(झ) एडवोकेसी के लिए वीडियो स्पॉट और ब्रांड एम्बेसडर का उपयोग करना–कारा ने परिवार से अलग बच्चों के पुनर्वास के सामाजिक सरोकार को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास से फिल्म एंव टेलीविजन की मशहूर हस्ती सुश्री साक्षी तंवर को कारा की ब्रांड एंम्बेसडर के रूप में शामिल किया है ताकि उनके माध्यम से आम जनता तक पहुंचा जा सके। बच्चों की रिपोर्ट करने, विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों के दत्तक ग्रहण और कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के बारे में तीन वीडियो स्पॉट बनाये गए और देश भर के सिनेमा घरों एव टेलीविजन चैनलों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गया। इन वीडियों स्पॉटों को 15 जनवरी, 2018 को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर कारा की ब्रांड एम्बेसडर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माननीय अतिथिगणों एंव अन्य हितधारकों की उपस्थिति में जारी किया गया।

(ञ) टेबल और वॉल केलेंडर का प्रदर्शन–वर्ष 2018 के कैलेण्डर को लोगों में संचेतना पैदा करने के लिए दत्तक ग्रहण संबंधी चित्रों एवं उद्देश्यों के साथ कारा में ही डिजाइन किया गया। इन्हें कारा के वार्षिक दिवस पर जारी किया गया था।

दिनांक 15 जनवरी, 2018 को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के तीसरे वार्षिक दिवस समारोह के दौरान वर्ष 2018 के वार्षिक कैलेंडर का अनावरण करते हुए महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुश्री सांक्षी तंवर, ब्रांड एम्बेस्डर

(ट) रेडियो जिंगल–रेडियो संचार का सशक्त साधन होने के कारण, दत्तक ग्रहण संबंधी जिंगलों को देशभर में 11 भाषाओं में रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया।

(ठ) कारा की वेबसाइट में परिवर्तन–कारा अपनी नई वेबसाइट विकसित करने की भी प्रक्रिया में है, जिसका लोगों के साथ बेहतर अंतरपृष्ठक होगा और अधिक सूचनापद होने के अलावा संचालन सरल होगा।

2.4 निरीक्षण एवं निगरानी

2.4.1 यह देखरेख के लिए कारा एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी सहयोगी अभिकरणोंकिशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 में यथा अनुबंधित अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान दत्तक ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण किया। वर्ष 2017–18 के दौरान, कारा और महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय दौरों के अलावा अधिनियम, नियम एवं विनियम में अधिदेशित अभिभावों के कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए देश भर में 24 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों का सार नीचे तालिका में दिया गया है–

क्रम.सं	राज्य/केंद्र शासित राज्य	कारा द्वारा निरीक्षण/दौरे किये गये दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निरीक्षण/दौरा किये गये दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या
(क)	बिहार	...	02
(ख)	दिल्ली	04	...
(ग)	झारखण्ड	...	02
(घ)	मध्य प्रदेश	...	03
(ड)	महाराष्ट्र	03	01
(च)	पंजाब	01	02
(छ)	राजस्थान	...	01
(झ)	तेलंगाना	02	...
(ञ)	उत्तर प्रदेश	01	02
	कुल	**11**	**13**

2.5 महत्वपूर्ण परिपत्र एवं एडवाइजरी

2.5.1 कारा/ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न हितधारकों जिसमें राज्य सरकारें, बाल कल्याण समितियों, डीसीपीयू, न्यायालय आदि शामिल हैं, को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने पर कई परिपत्र एवं एडवाइजरी जारी की गई हैं। इन्हें कारा की वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र एवं एडवाइजरी का **परिशिष्ट–ड** पर दिया गया है।

2.6 अन्य पहलें, उपलब्धियां एवं सराहना

2.6.1 आरंभ की गई महत्वपूर्ण नीति/कार्यक्रम गतिविधियां – आरंभ की गई कुछ महत्वपूर्ण नीति/कार्यक्रम गतिविधियों का वर्णन नीचे दिया गया है–

क) एसएए–सीसीआई लिंकेज–अभिभावक की देखभाल से रहित प्रत्येक बच्चे तक पहुंच के उद्देश्य से विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) तथा बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के बीच लिंकेज स्थापित किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 66 और माननीय न्यायमूर्ति लोकुर, भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार 23 मार्च, 2018 तक, 336 सीसीआई के 2148 बच्चों को दत्तक ग्रहण के माध्यम से उनके पुनर्वास हेतु जोड़ दिया गया है। सभी बाल देखभाल संस्थाओं का पंजीकरण एवं एसएए के साथ इसका लिंकेज वर्ष 2017 के अंत तक पूरा किया जाना अपेक्षित हैं।

ख) विशिष्ट जरूरतमंद बच्चे–'विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों के संबंध में लोगों की सोच में आदर्श बदलाव लाने की आवश्यकता थी। कारा ने विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए केयरिंग्स पर विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों के मॉड्यूल की शुरूआत की हैं, जो सभी पंजीकृत भावी दत्तक माता–पिता के लिए खुला है। वर्ष 2017–18 के दौरान, केयरिंग्स पर इस मॉड्यूल की सहायता से देश में और विदेश मे क्रमशः 42 एवं 349 बच्चों को दत्तक ग्रहण में किया गया। निम्नलिखित किए गए उपायों के कारण इनका दत्तक ग्रहण सुकर हो पाया–

i) कानूनी रूप से मुक्त विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों की सूची सीधे रूप से उपलब्ध है।

ii) किसी भी विशिष्ट जरूरतमंद बच्चे को रिजर्व करने के लिए कोई लाइन नहीं है।

iii) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देते है एवं सुकर सुविधाजनक बनाते है।

(ग) **मुश्किल से बच्चों के लिए स्थानन किए तत्काल प्लेंसमेंट मॉड्यूल**– केयरिंग्स ने अपने तत्काल प्लेसमेंट मॉड्यूल के माध्यम से मुश्किल से रखे जाने वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुकर बनाया है जिसे सभी पंजीकृत भावी दत्तक माता–पिता देख सकते है। इस मॉड्यूल में रखे गए बच्चे दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त होने के बावजूद, कई बार रेफरल के बाद भी माता–पिता ने उन्हें रिजर्व नहीं किया। सामान्यत; ये बड़े बच्चे या थोड़ी सी चिकित्सीय जरूरतों वाले बच्चे थे। बच्चों के तत्काल प्लेसमेंट मॉड्यूल की शुरूआत 26 सितम्बर, 2016 को हुई।

(घ) **कारा में परामर्श केंद्र**– वर्ष 2016 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पूर्व सचिव और कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष सुश्री लीना नायर द्वारा उद्घाटित परामर्श केंद्र आज तक कार्य कर रहा है। इस प्रयोजय के लिए सलाहकार का पैनल बनाया गया है व्यक्तिगत रूप से और फोन के जरिए परामर्श सहायता लेने के लिए अनुरोध एवं मिलने का निश्चित समय केयरिंग्स के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इस सुविधा के माध्यम से अनेकों भावी दत्तक माता–पिता को परामर्श सहायता दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तर पर भी परामर्श सुविधाओं का विस्तारित रुप राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों को सूचित कर दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए सलाहकार का पैनल भी बनाया गया है।

(ड.) **कारा की हैल्पलाइन 1800–11–1311**– टॉल फ्री हेल्पलाइन नम्बर की शुरूआत तीन टेली काउंसलर से की गई थी जो भावी दत्तक माता–पिता के सवालों का जवाब देते थे। टेली काउंसलर प्रतिदिन औसतन 100 कॉलों का उत्तर देते हैं।

(च) **ऑनलाइन शिकायत निवारण मॉड्यूल**– वर्ष 2017 में, कारा ने केयरिंग्स पर ऑनलाइन शंका/शिकायत मॉड्यूल की शुरूआत की जिसे कारा की वेबसाइट www.cara.nic.in के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से, भावी दत्तक माता–पिता अपनी शिकायत ऑनलाइन पंजीकृत करवा सकते है और साथ ही प्रणाली द्वारा जनित ''शिकायत ट्रैकिंग संख्या'' कें जरिए निवारण की प्रगति का पता किया जा सकता है(नेट पर या फोन कॉल के माध्यम से)। इस संख्या को जनहित करने के लिए, प्रणाली का उद्देश्य प्रभावी सेवा प्रदायगी व अभिशासन के लिए उत्तरदायित्व को सुदृढ़ एवं विकसित करना है। यदि तीन कार्य दिवस के अंदर शिकायत/पूछताछ का पर जवाब नहीं दिया जाता है तो अपील के स्तर का ऊपर करने का प्रावधान है।

(छ) **40 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिला भावी दत्तक माता–पिता को प्राथमिकता** – बढ़ती जागरूकता व बदलते सामाजिक जीवन के साथ भारत में बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए आगे आने वाली एकल महिलाओं का प्रवृति बढ़ रही है। 40 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिला भावी दत्तक माता–पिता जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम है को पंजीकरण की तारीख से छह माह की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता देकर प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2017–18 के दौरान, इस नीति के कार्यान्वयन के बाद 43 एकल महिला भावी दत्तक माताएं लाभान्वित हुई है और कम समय में बच्चों के दत्तक ग्रहण से समर्थ हुई है।

(ज) **अंतरदेशीय भावी दत्तक माता–पिता हेतु मॉड्यूल**– अंतर देशीय भावी दत्तक माता–पिता के लिए केयरिंग्स पर एक नया मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया गया है। पंजीकृत अंतरदेशीय भावी दत्तक माता–पिता को अपनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर अपनी स्थिति पता करने में समर्थ बना सके।

2.6.2 **उपलब्धियां**– उपलब्धियों को गिना नहीं जा सकता, फिर भी वर्ष 2017–18 की मुख्य उपलब्धियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) 830 से भी ज्यादा पंजीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों सहित सभी हिताधारकों के साथ केयरिंग्स के माध्यम से ऑनलाइन दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का पूर्ण कार्यान्वयन।

(ख) भावी दत्तक माता–पिता में कानूनी दत्तक ग्रहण तथा ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में संचेतना पैदा करना जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु केयरिंग पर बड़ी संख्या में पंजीकृत उपयुक्त भावी दत्तक माता–पिता उपलब्ध हैं।

(ग) सृजन और प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय मीडिया अभियानों के द्वारा संचेतना और जागरूकता में वृद्धि हो

2.6.3 सराहना–

(क) इंडस पुरस्कार– दिनांक 28 जुलाई, 2017 को होटल ललित, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में इंडस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंडो–ग्लोबल स्किल्स समिट एंड एक्स्पो–2017 के दौरान कारा ने 2 पुरस्कार एक सामाजिक प्रभाव उत्कृष्टता के लिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ तकनीक के लिए प्राप्त किए। इंडस फाउंडेशन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत लाभ–निरपेक्ष (न्यास) है यह फाउडेशन भारत में शिक्षा, कौशल, स्टार्ट अप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। यह फाउंडेशन पिछले 20 साल से अंतराष्ट्रीय स्तर पर एवं भारत में सुस्थापित है।

(ख) स्कॉच ऑर्डर–ऑफ मेरिट पुरस्कार, 2017–कारा ने 20–21 दिसंबर, 2017 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित 50 वे स्कॉव समिट के दौरान 'स्कॉच ऑर्डर–ऑफ मेरिट पुरस्कार' 2017 जीता। यह पुरस्कार भारत में सर्वश्रेष्ठ 80 तकनीकी परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।

अध्याय : 3

वैधानिक अनुपालन

3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 से संबंधित जानकारी :

3.1.1 कारा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है।

3.1.2 वर्ष 2017–18 के दौरान कारा को कुल 90 आरटीआई आवेदन सीधे (ऑनलाइन/ ऑफलाइन–मामले तथा हस्तांतरित (ऑनलाइन/ ऑफलाइन)–मामले प्राप्त हुए। वर्ष 2017–18 के दौरान 90 आरटीआई आवेदनों में से, सीपीआईओ कारा ने 63 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया और 11 आरटीआई आवेदनों को अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों कार्यालयों को हस्तांतरित किया। बाकी 16 आरटीआई आवेदनों का उत्तर (उत्तर/हस्तांतरण) वर्ष 2018–19 के दौरान कर दिए गए।

3.1.3 इसके अलावा, कारा को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कुल 15 अपील आवेदन (14 प्रथम अपीलीय आवेदन–(ऑनलाइन/ऑफलाइन) और 01 द्वितीय अपीलीय आवेदन जो सीआईसी में दायर किया गया है) प्राप्त हुए हैं। 14 अपील आवेदनों पर अपीलकर्ता को वर्ष 2017–18 के दौरान एफएए (कारा) ने उत्तर दिया। 15 अपील आवेदनों में से और शेष 01 अपील आवेदन का उत्तर भी वर्ष 2018–19 के दौरान जारी कर दिया है।

3.1.4 **सूचना का अधिकार आवेदन और सूचना का अधिकार की अपील का तिमाही वार विवरण नीचे दिया गया है–**

(क) सूचना का अधिकार आवेदन–
(31/03/2018 तक की स्थिति)

2017–18 की तिमाही	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में सीधे प्राप्त सूचना का अधिकार (ऑनलाइन/ ऑफलाइन) आवेदनों की संख्या	अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को स्थानांतरित (ऑनलाइन/ ऑफलाइन) आवेदनों की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को प्रत्युत्तर/उत्तर (ऑनलाइन/ ऑफलाइन) दिए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित आरटीआई आवेदनों की संख्या (ऑनलाइन/ ऑफलाइन)
प्रथम	04	03	01	02
द्वितीय	09	01	07	01
तृतीय	29	18	20	03
चतुर्थ	22	04	35	05
उप योग	**64**	**26**	**63**	**11**
कुल योग	**90**		**74***	

शेष 16 आरटीआई आवेदनों के उत्तर/हस्तांतरण 2018–19 के दौरान सीपीआईओ (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) द्वारा दिए गए है।

(ख) सूचना का अधिकार अपील –
(31/03/2018 तक की स्थिति)

2017–18 की तिमाही	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में सीधे प्राप्त सूचना का अधिकार अपील (ऑनलाइन/ ऑफलाइन) की संख्या	अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को स्थानांतरित (ऑनलाइन/ ऑफलाइन) आरटीआई/ अपीलों की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आवेदकों को दिए गए (ऑनलाइन/ ऑफलाइन) आरटीआई अपील आवेदनों की संख्या	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित आरटीआई अपील आवेदनों की संख्या (ऑनलाइन/ ऑफलाइन)
प्रथम	01	...	01	...
द्वितीय	02	...	...	...
तृतीय	09	...	10	...
चतुर्थ	03	...	03	...
कुल	**15**	...	**14**	...
कुल योग	**15**		**14***	

***2018–19 के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) द्वारा 1 अपील आवेदनों का उत्तर दिया गया है।**

3.2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी जानकारी–

3.2.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक आंतरिक समिति हैं (1) सुश्री विनिता झा, सहायक निदेशक–अध्यक्ष (2) सुश्री ऋचा ओझा, प्रशासनिक अधिकारी, कारा और (3) श्री एस.के.गुप्ता, कारा सदस्य है। इस समिति की वैधता दिनांक 12/04/2018 से तीन वर्ष की अवधि तक की है।

3.2.2 वर्ष 2017–18 के दौरान समिति को, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के खिलाफ किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अध्याय : 4

आंकड़ा आधार

4.1 अंतिम तीन वर्षों के समेकित दत्तक ग्रहण आंकड़े :-

दत्तक ग्रहण	2015–2016	2016–2017	2017–2018
देशीय	3011	3210	3276
अंतरदेशीय	666	578	651

4.2 **वर्ष 2017–18 हेतू राज्य–वार दत्तक ग्रहण (देशीय और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण) आंकडों का विवरण निम्नानुसार है–**

क्रम. सं	राज्य का नाम	देशीय	अंतरदेशीय
(क)	आंध्र प्रदेश	102	20
(ख)	असम	77	15
(ग)	बिहार	132	35
(घ)	चंडीगढ़	6	1
(ड)	छत्तीसगढ़	91	17
(च)	दिल्ली	88	33
(छ)	गोवा	13	1
(ज)	गुजरात	95	22
(झ)	हरियाणा	45	8
(ञ)	हिमाचल प्रदेश	7	0
(ट)	झारखंड	111	12
(ठ)	कर्नाटक	294	26
(ड)	केरल	136	15
(ढ)	मध्य प्रदेश	177	31
(ण)	महाराष्ट्र	667	147
(त)	मणिपुर	4	5
(थ)	मेघालय	9	2
(द)	मिजोरम	49	9
(ध)	नागालैंड	9	57
(न)	ओडिसा	207	2
(प)	पुदुचेरी	23	27
(फ)	पंजाब	62	12
(ब)	राजस्थान	126	0
(भ)	सिक्किम	17	0
(म)	तमिलनाडु	203	30

(य)	तेलंगाना	141	45
(र)	त्रिपुरा	27	4
(ल)	उत्तर प्रदेश	180	40
(व)	उत्तराखंड	10	3
(श)	पश्चिम बंगाल	168	31
(ष)	जम्मू और कश्मीर	0	1
	कुल	**3276**	**651**

4.3 **वर्ष 2017–18 हेतू देश–वार दत्तक ग्रहण डाटा (भारतीय बच्चों का अतंरदेशीय दत्तक ग्रहण) का विवरण निम्नानुसार है–**

क्रम. सं	देश का नाम	दत्तक ग्रहण
(क)	ऑस्ट्रेलिया	1
(ख)	बेल्जियम	6
(ग)	कनाडा	21
(घ)	डेनमार्क	7
(ड)	फिनलैंड	3
(च)	फ्रांस	21
(छ)	जर्मनी	1
(ज)	हॉगकॉग	2
(झ)	इटली	135
(ञ)	लक्समबर्ग	1
(ट)	मलेशिया	1
(ठ)	माल्टा	49
(ड)	मॉरीशियस	4
(ढ)	न्यूजीलैंड	12
(ण)	स्पेन	79
(त)	स्वीडन	19
(थ)	यू.के.	11
(द)	यू.ए.ई	2
(ध)	अमेरिका	276
	कुल योग	**651**

अध्याय : 5

परिशिष्ट

5.1 परिशिष्ट– कः राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएए) की राज्य–वार सूची इस प्रकार है–

क्रम. सं.	राज्य /केंद्र शासित प्रदेश	संबंधित सारा	संपर्क विवरण
(क)	आंध्र प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण , ओ/ओ महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग निदेशालय, आंध्र प्रदेश सरकार, तृतीय मंजिल, स्वर्ण जंयती परिसर, अमीरपेट, हैदराबाद	सुश्री वाई शालेजा संयुक्त निदेशक मोबाइल : 0944081125 दूरभाष : 0863.2332587 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 08121034803 ईमेल : adoptionandhra@gmail.com apwdcw@gmail.com
(ख)	असम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ओ/ओ राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी, असम सरकार, प्रथम मंजिल,हाउस नं. 46, सर्वे बस स्टाप, बेलटोला गुवाहाटी– 28, असम	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09864483226 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09085962276 टेलीफैक्स : 0361.2229275 ईमेल : scpsassam@gmail.com, sarascps10@gmail.com, saraassam8@gmail.com
(ग)	बिहार	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण दूसरी मंजिल, अपना घर, पुनाईचक, बेली रोड, पटना–800023, बिहार	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09955404688 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09122881310, 08210830040 कार्यक्रम सहायक मोबाइल : 09308784953 दूरभाष : 0612.2545033 ईमेल : biharsara@gmail.com, brajesh1098@gmail.com, sara-bih@gov.in

(झ)	गोवा	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, पुरानी शिक्षा बिल्डिंग, द्वितीय तल, 18 जून रोड,पणजी, गोवा –403001	परिवीक्षा अधिकारी (मुख्यालय) दूरभाषः 0832.9358365ए फैक्स : 0832.2424238 ईमेल : dir-wcd.goa@nic.in
(ञ)	गुजरात	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, गुजरात राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी गुजरात सरकार, ब्लाक – 19 तृतीय तल, डॉ जीवराज मेहता भवन, सेक्टर – 10/ए, गांधीनगर, गुजरात – 382010	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09737615383 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09428606094 दूरभाषः 079.23242521ध् 22ध् 23 फैक्स 079.23242522 ईमेल : sara.gujarat@gmail.com
(ट)	हरियाणा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग बेयस नं 15–20, सेक्टर 4 पंचकुला हरियाणा	कार्यक्रम प्रबंधक दूरभाषः 0172.2560349 ईमेल : sara.icps@gmail.com
(ठ)	हिमाचल प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, सेडर भवन, हिमलैंड होटल के निकट, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09418245773 दूरभाषः 0177.2629731 फैक्स : 0177. 2629731 ईमेल : hscps.icps@gmail.com
(ड)	झारखंड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, झारखंड सरकार, इंजीनियर होस्टल, द्वितीय तल, सैक्टर– 3, धूवा, रांची – 4, झारखंड–834004	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09102205141 दूरभाषः 0651.6573272 ईमेल :sarajharkhand@gmail.com

(ढ)	कर्नाटक	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय कर्नाटक सरकार, प्रथम तल, एम.एस. बिल्डिंग, डॉ अंबेडकर वीधी रोड, बैंगलु: , कर्नाटक– 560001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल:09886474749 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09008961187ए 08022879382 दूरभाषः 080. 22879381, 22879382, 22353776 फैक्स : 080.22353777 ईमेल : dirwcd@kar.nic.in, jdpdm.dwcd@gmail.com, icpssarakar@gmail.com
(ण)	केरल	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग केरल, आईपीसीएस–राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण पूजापूरा, तिः वनंतपुरम – केरल	संयुक्त निदेशक मोबाइल:09447533690 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09747499612 दूरभाषः 0471.2342235 फैक्स: 0471-2344230 ईमेल:keralasara@gmail.com, icpskerala@gmail.com
(त)	मध्य प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं सशक्तीकरण निदेशालय, महिला भवन, बाल भवन परिसर, दूसरा स्टॉप, तुलसी नगर, भोपाल–462001, मध्य प्रदेश	श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी संयुक्त निदेशक मोबाइल 9425184993 श्री आशीष सिंह सहायक निदेशक मोबाइल 9981511217, ईमेल : icpsbhopal@gmail.com, icpsscheme.we@mp.gov.in
(थ)	महाराष्ट्र	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, द्वितीय तल, महिला एवं बाल विकास आयोग, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुराने सक्रिट हाउस के निकट, पुणे– 411001 महाराष्ट्र	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09594067999 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइलः 09960897907 मोबाइलः 09767483880 दूरभाषः 020.26360063 ईमेलः sara.mscps@gmail.com

(द)	मणिपुर	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार निदेशालय परिसर, एटी लाइन (द्वितीय एमआर गेट), इंफाल, मणिपुर–795001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 08415902838 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइलः 08415943378 ईमेलः manipursara@gmail.com
(ध)	मेघालय	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग, मेघालय सरकार, लोवर लंचूमीचरी, हॉपकिंग्स रोड शिलांग–793001, मेघालय	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09612948543 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइलः 8014138803ए 7005033846 दूरभाषः 0364.2501268 फैक्सः 0364.2225978 ईमेलः sara.shillong@gmail.com
(न)	मिजोरम	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण वेरडेंट रिज, हाउस नंबर 1–61/ई–1/बी, डंगलेना बिल्डिंग, ताइटसेना सेक्शन, लपुतिलंग, ऑजवाल, मिजोरम– 796012	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09436190895 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइलः 09862329347 दूरभाषः 0389.2306957 ईमेलः saramzr@ymail.com, vanlaldini@yahoo.com
(प)	नागालैंड	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ऑफिसर हिल्स, एस.पी कार्यालय के निकट, एयरस भवन, कोहिमा, नागालैंड–797001	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09436282856 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइलः 09089979334 टेलीफैक्स : 0370.2242979 ईमेलः scpsnagaland@gmail.com, renchumi@yahoo.com
(फ)	ओड़िशा	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला एवं बाल विकास, मिशन एवं बाल विकास मिशन शक्ति भवन,गंडमुंडा, खंडागई, भुवनेष्वर–751003, ओडिसा	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09438350598 दूरभाषः 0674.2353122 ईमेलः pm.sara.od@nic.in, Saraodisha09@gmail.com

(ब)	पुदुचेरी	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, सामाज कल्याण निदेषालय, पुदुचेरी सरकार, नं. 1, सारादंबल नगर मेन रोड, इलईपिलईचवेडी, पुदुचेरी –605005	उप निदेशक कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09843436993 कार्यक्रम सहायक केंद्र शासित प्रदेश बाल संरक्षण सोसाइटी मोबाइलः 09043707394 दूरभाषः 0413.2200088ए 2205871 फैक्सः 0413.2206762ए 2200088 ईमेलः : directorofsocialwelfare@yahoo.com, dswicpspdy@gmail.com
(भ)	पंजाब	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार, एस.सी.ओ. संख्या 102–103, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़–160022,	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09592104500 दूरभाषः 0172.2608746ए 2602726 फैक्सः 0172.2664533 ईमेलः dsswcd@rediffmail.com, icps.punjab@gmail.com, saraicpspunjab@gmail.com
(म)	राजस्थान	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल अधिकार विभाग,20 / 198, कावेरी पथ, सेक्टर –2, मानसरोवर जयपुर, राजस्थान	उप निदेशक राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण दूरभाषः 0141.2399335 / 36 ईमेलः ccosjerajasthan@gmail.com,
(य)	सिक्किम	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग, सिक्किम सरकार, पुरानी वेस्ट प्वाइंट स्कूल, प्राइवेट तती स्टैंड के पास गंगटोक, सिक्किम– 737101	कार्यक्रम अधिकारी मोबाइलः 08670019974 कार्यक्रम सहायक मोबाइलः 07908598616 दूरभाषः 03592.202828 फैक्सः 03592.225682 ईमेल : icpssikkim@gmail.com, rahuldumi@gmail.com
(र)	तमिलनाडु	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, समाज कल्याण निदेषालय, तमिलनाडु सरकारएनंबर 300, पुरसावलम हाई रोड केली चेन्नई –600 032, तमिलनाडु	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09444784421 कार्यक्रम अधिकारी मोबाइलः 09043635121ए 09952686904 दूरभाषः 044.26423050 ईमेल : dswchennai@gmail.com

(ल)	तेलंगाना	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, आयुक्त कार्यालय तेलंगाना, महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार, द्वितीय तल, स्वर्ण जयंती परिसर, मैथिरी वनम परिसर के पीछे, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, तेलंगाना	संयुक्त निदेशक मोबाइलः 09440814456 कार्यक्रम प्रबंधक 7989787906 ईमेल : tgwdcw@gmail.com, tgadoption@gmail.com
(व)	त्रिपुरा	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, समाज और षिक्षा निदेषालय, त्रिपुरा सरकार, उजन अबहोग नगर, अगरतला, त्रिपुरा – 799005	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 09402169378 कार्यक्रम सहायक मोबाइलः 08974061161 दूरभाषः 0381.2326033 फैक्सः 0381.2323980 ईमेल : cw.dswe@gmail.com, dswe_agt@yahoo.com, dswepcell@gmail.com, chiranjit.utitsl@gmail.com
(श)	उत्तरांचल	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला एवं सशक्तीकरण निदेशालय, उत्तरांचल सरकार , नागेष्वती होम्योपैथिक अस्पताल आईएसबीटी रोड, रिसपाना पूल के निकट, देहरादून –248001, उत्तरांचल	कार्यक्रम सहायक मोबाइलः 09410722092, 08630280432 दूरभाषः 0135.2107009 फैक्सः 0135.2656432 ईमेलः directorsocialwelfare@gmail.com ukchiefpo@gmail.com
(ष)	उत्तर प्रदेश	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला कल्याण निदेषालय, महिला कल्याण और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, आठवां तल, जवाहर भवन, अषोक मार्ग, लखनऊ –226001, उत्तर प्रदेश	कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइलः 08707813782 दूरभाषः 0522.2286402 फैक्सः 0522.2286140ए 2286451 ईमेलः upsara2015@gmail.com, directormahilakalyan@gmail.com
(स)	पश्चिम बंगाल	राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण, बाल अधिकार और तस्करी निदेशालय, शाशाली भवन, साल्ट लेक सिटी, सेक्टर – 1, डीएफ खंड, कोलकाता– 700064 पश्चिम बंगाल	मोबाइलः 09674174627 दूरभाषः 033.23560351 फैक्सः 033.2337578 ईमेलः adoption.sarawb@gmail.com

5.2 **परिशिष्ट–ख : जिला बाल संरक्षण एकक की राज्य –वार–सूची निम्नलिखित है–**

क्रम. सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत डीसीपीयू की संख्या
(क)	आंध्र प्रदेश	13
(ख)	अरुणाचल प्रदेश	0
(ग)	असम	27
(घ)	बिहार	38
(ड)	चण्डीगढ़	1
(च)	छत्तीसगढ़	27
(छ)	दादर और नागर हवेली	...
(ज)	दिल्ली	11
(झ)	गोवा	0
(ञ)	गुजरात	33
(ट)	हरियाणा	21
(ठ)	हिमाचल प्रदेश	12
(ड)	झारखंड	24
(ढ)	कर्नाटक	30
(ण)	केरल	14
(त)	मध्य प्रदेश	49
(थ)	महाराष्ट्र	36
(द)	मणिपुर	9
(ध)	मेघालय	11
(न)	मिजोरम	8
(प)	नागालैंड	11
(फ)	उड़ीसा	30
(ब)	पोंडिचेरी	4
(भ)	पंजाब	22
(म)	राजस्थान	33
(य)	सिक्किम	4
(र)	तमिलनाडु	32
(ल)	तेलंगाना	10
(व)	त्रिपुरा	8
(श)	उत्तर प्रदेश	72
(ष)	उत्तरांचल	13
(स)	पश्चिम बंगाल	20
...	**कुल**	**625**

5.3 परिशिष्ट–ग विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की राज्य वार सूची निम्नानुसार है–

क्रम सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएए की संख्या
(क)	आंध्र प्रदेश	14
(ख)	अरुणाचल प्रदेश	2
(ग)	असम	23
(घ)	बिहार	28
(ङ)	चंडीगढ़	1
(च)	छत्तीसगढ़	13
(छ)	दादरा और नगर हवेली	1
(ज)	दिल्ली	11
(झ)	गोवा	2
(ञ)	गुजरात	16
(ट)	हरियाणा	8
(ठ)	हिमाचल प्रदेश	1
(ड)	झारखंड	15
(ढ)	कर्नाटक	28
(ण)	केरल	17
(त)	मध्य प्रदेश	31
(थ)	महाराष्ट्र	63
(द)	मणिपुर	9
(ध)	मेघालय	6
(न)	मिजोरम	7
(ऩ)	नागालैंड	4
(प)	ओडिशा	28
(फ)	पुदुचेरी	4
(ब)	पंजाब	9
(भ)	राजस्थान	35
(म)	सिक्किम	4
(य)	तमिलनाडु	20
(र)	तेलंगाना	11
(ऱ)	त्रिपुरा	9
(ल)	उत्तर प्रदेश	18
(व)	उत्तरांचल	8
(ष)	पश्चिम बंगाल	24
	कुल	**470**

5.4 परिशिष्ट–घः अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) की सूची निम्नानुसार है–

5.4.1 एएफएए का सारांश

अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)		
क्रम सं.	**देश का नाम**	**एएफएए की संख्या**
(क)	बेल्जियम	5
(ख)	कनाडा	4
(ग)	डेनमार्क	1
(घ)	इथियोपिया	1
(ड)	फिनलैंड	1
(च)	फ्रांस	6
(छ)	हॉगकॉग	1
(ज)	आइसलैंड	1
(झ)	आयरलैंड	1
(ञ)	इटली	15
(ट)	लक्समबर्ग	1
(ठ)	माल्टा	2
(ड)	नीदरलैंड	1
(ढ)	न्यूजीलैंड	2
(ण)	नॉर्वे	2
(त)	सिंगापुर	1
(थ)	दक्षिण अफ्रीका	1
(द)	स्पेन	4
(ध)	स्वीडन	3
(न)	स्विट्जरलैंड	2
(प)	संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.ई.)	1
(फ)	यूनाइटेड किंगडम (यूके)	1
(ब)	युनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका, (यूएसए)	21
कुल		**78**

5.4.2 एएफएए का विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	अभिकरण का नाम व पता	ईमेल
(क)	बेल्जियम	ईफेंटस डी लेसपोर चिल्डरन फॉर होप रूए डी मॉन्टिग्नी–13, लीटरेज (प्रथम तल) 6000 चालॅरोड बेल्जियम	N.foulon@skynet.be Nathaliefoulon07@gmail.com Enfantsespoir@gmail.com
		अमराना–एइड ऑक्स ईफेंटस डू टायर्स मोन्डे रूए डेस पावॉट्स, 34 1030 ब्रक्सेलस बेल्जियम	Amarna@amarna.org
		इम्मानुअल एडॉप्शन 23, एवेन्यू नसबाऊम, बैनेक्स–4141 बेल्जियम	Emmanueladoption@skynet.be Emmanuel.adoption@econophone.be
		रेय ऑफ होप (मर्जर विद जोय सोर्वस होप) कनापतनसरात 25, 9160 लोकरेन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम	Ray.of.hope.vzw@pandora.be
		फलानडर इंटरकंटरी ऍडोप्शन केयर (एफआईएसी) स्टेशन स्ट्रार्ट 80ए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम	info@fiac-vzw.be
(ख)	कनाडा	कॉर्नरस्टोन ऍडोप्शन एजेंसी, 360 बेली स्ट्रीट, स्वीट 201 एजेक्स, ओट्रारियो, कनाडा एल1एस 1पी1	Info@cornerstoneadoption.ca
		कनाडा मार्फत वर्ल्ड वियू ऍडोप्शन एसोसिएशन, 130, वेस्टमोर ड्राईव, स्वीट 5, टोरांटो, ओनटारीयो, एम9वी 5ई2 कनाडा	Worldview-adoption@on.aibn.com Adoption@wcic.ca
		चिल्ड्रन ब्रिज इंटरनेशनल ऍडोप्शन कंस्लटेंट 1400 सीलडी एवेंन्यू, स्वीट 221, ओटावा, ओनटारिया, कनाडा, के2जी 312	Info@childrensbridge.com
		सनराईज फैमिली सर्विजज सोसाइटी #102-171, वेस्ट एसपलेनैड, नार्थ वैंकूवर, बीसी वी7एम 3जे9, कनाडा	Info@sunriseadoption.com Mary@sunriseadoption.com
(ग)	डेनमार्क	डेनमार्क छानिश इंटरनेशनल ऍडोप्शन होवेजडेंन 24, 3460 बिरकेरोड, डेनमार्क इथोपिया	Mail@danadopt.dk Ac@a-c.dk
(घ)	इथोपिया	श्री मेसफिन जेबरेमारायिम पी.ओ.बॉक्स 145180 एडिस अबाबा, इथोपिया केयर ऑफ ऐम्बेसी ऑफ इंडिया अराडा डिस्ट्रीक्ष, केबेले 13/14 मकान न. 224, पी.ओ.बॉक्स 528, एडिस अबाबा, इथोपिया	Mesgeb@gmail.com Cons.addisababa@mea.gov.in
(ड)	फिनलैंड	इंटरपीडिया आर.वाई एसेमामईहेंनकाटू 4 बी/स्टेशनकरलेसगाटन 4बी, फिन–0050 हेलसिगफोर फिनलैंड च फ्रांस	Ilona.korhonen@interpedia.fi Eija.kiiskinen@interpedia.fi

(च)	फ्रांस	कंफेडरेशन फ्रासिस पोर एल ऍडोप्शन कोफा– कमिटी डी मार्शीली ओईयूवरे डी ई ऍडोप्शन 12, आरयूई बीईएल एयेर–13006 फ्रांस	Odamarseille@wanadoo.fr
		इंफेंटस एसपोर डू मॉडे (ईईडीएम/ऍडोप्ट) 2, आरयूई क्लोस्टर67140 बीएआरआर, फ्रांस	Eedm.adopt@wandoo.fr
		ले रेयॅन डी सोलेल डी ई इंफेट ईट्रेन्जर ऑ 8बीआईएस, आरयूई, मारटेल 75010 पेरिस फ्रांस	Soleil.rayon@wanadoo.fr Rdsee.adoptioninde@gmail.com
		लेस इंफेटस डीई एल एसपेरेंस, 22, एएलएलईई पॉल इलूआर्ड–77420 चैम्पस एसयूआर मैरनी फ्रांस	Suzannem.ede@gmail.com Delacour@chello.fr Moushette@hotmail.com
		इंफेंटस डू मॉडे 87, रू डे ले बेसस 59000 एलआईएलएलई फ्रांस	Edmfcontact@aol.com Edmfcontact@yahoo.fr
		एजेंसी फ्रांकेंसी डी एल ऍडोप्शन 19, बोयूलेवर्ड हेनरी iv 75004, पेरिस, फ्रांस हांगकांग	marine.marcon@agence-adoption.fr
(ज)	हांगकांग	इंटरनेशनल सोशल सर्विस छठी मंजिल, सोदरन सेंटर, 130 हैनेससी रोड वनचाही, हांगकांग	Isshakbr@netvigator.com
(झ)	आईसलैंड	आईसलेंडीक ऍडोप्शन सोसायटी सिक्पोल्ट 50बी, 105 रेयकेजेविक आईसलैंड	Isadopt@simnet.is Isadopt@isadopt.is
(ञ)	आयरलैंड	हैल्पिंग हैंड ऍडोप्शन मेडिटेंशन एजेंसी फॉर्ज लॉज, फॉर्ज लॉज हिल्स कॉक, डब्लीन आयरलैंड	Helpinghands.ama@gmail.com
(ट)	इटली	सेंट्रो ईटेलियन ओयूटी ऑल इनफेंजिया (सीआईएआई) वाया बोरडिगेराह, 6 20142 मिलानो, इटली	Adozioni@ciai.it_
		अंतराष्ट्रीय ऍडोप्शन एसोसिएशन फॉर द फैमिली एंड चाल्इलड वेल्फेयर वाया केटरिना 208/सी कमपोफोरमिडो (यूडी) इटली	Info@internationaladoption.it
		मिशनेरि डेला केरीटा (मिशनरीज आफ चेरीटी) सलीटा डी एस ग्रेगोरीयो/ऑलसीलो एन1 00184 आर0एमई, इटली	Mcadozioni.info@gmail.com
		आई बमबीनी डेल अरकोबालिनो एडोजीओनी इंटरनाजीओनाली 32013 लोगारोनी (बीएल) इंटालीया वाया रोमा 36/ए कोडीसी फिसकेले 93017430252, इटली	Bamperco@libertoit Associazione@bambarco.it

	इटली	एसोसिएजीओन एमिकी टरेनटीनी ऑनलस वीएले डेगली ओएलमी, 26 38123 ट्रेनटो, इटली	Amicitrentinitezze@valsugana.com Trento@amicitrentini.it
		एसोसिएजीओन इटालिआना प्रो एजोजीओनी (एआईपीए) सेडे सोसीएला वाया फ्रेसेको डीओडो 10–00136, रोमा, इटली	Info@aipaweb.it Aipamail@tin.it
		एसोसिएजीओन एमिकी डी डोन बोस्को वाया मारिया,ओसीलिएटराईस 32–10152 टोरिनो, इटली	Amicidb@tin.it_
		ल प्रीमोजेनिटा इंटरनेशनल ऍडोप्शन वाया फिओरीनी 6/ए 29100 पीयासीएनजा इटली	Amicidb@tin.it_ Anna.piacenza@laprimogenita.it
		मेहाला एसोसिएशन चाइल्ड एंड फैमिली–ऑनलस एसोसिएजीयोन मेहाला ऑनलस, वाया केम्पी, 64'23807, मेरेटे(आईसी)	Adozioni@mehala.org Info@mehala.org
		फैमिगलीया इनसीएमी ऑनलस लाजो एमबा एराडेम 1, रोम 00184, इटली	Cooperativa@famigliainsieme.org
		एमिकी मिशीओनी इंडेनेन ओनलेस वाया आल्डो मोरो 7–20090 बूसीसीआईएसको (एमआई), मिलान इटली	Adoz_india@amiweb.org Ami@amiweb.org
		एसोसिएशन मरियाना ऑनलेस वाया ए डीआज, 92 केसोरिया, ना, इटली	Associazionemarianna@virgilio.it
		सीआईएफए ऑनलस सेंट्रो इंटरनाजाईनलेन फेमिजी प्रो एडोजीओन इंटरनेशनल सेंटर फोर चिल्डरन एंड फैमिली वाया यूगो फोस्कोलो 3,10126 टूरीन, टूरीनो, इटली	Cifa.torino@cifaong.it
(ठ)	लक्जमबर्ग	एमीकेल इंटरनेशनल डीऐड एल इंफेंन (एआईएई) एल–8140 ब्रीडेल, 71, आरयूई डे लक्ज़म्बर्ग गेंड डूची, लक्ज़म्बर्ग	Aiaem@pt.lu
(ड)	नीदरलैंड	वेरेलडीकिनडेरेन (द नीदरलैंड इंटर–कंटरी चाइल्ड वेफेयर ऑरगनाईजेंशन) रिओडब्ल्यूएसरात 191, 2585 एचटी, डेन हैग, द नीदरलैंड	Info@wereldkinderen.nl Dobken@wereldkinderen.nl
(ढ़)	न्यूजीलैंड	इंटरकंनट्री ऍडोप्शन न्यूजीलैंड (आईसीएएनजी) पीओ बॉक्स 62–660 ग्रीनलैंन ऑकलैंड 1546 न्यूजीलैंड कूरियर और स्ट्रीट पता 107 ग्रेट साउथ रोड, ईपसन ओक्लैंड 1051, न्यूजीलैंड	Office@icanz.gen.nz
		मार्फत कम्पैंशन फॉर ओरफन (सीएफओ) 20 सीएलवेल एवेन्यू वाईकानेन, कपिटी कोस्ट 5036 वेल्गिटन, न्यूजीलैंड	Cfo@paradise.net.in Victoria.mausatova003@cyf.govt.nz Enuiries@cfo.org.nz
(ण)	सिंगापुर	सुश्री सरेशी सेनगुप्ता 133 लोरंग के टेलोक कुरौ रू. 03.01 सिंगापुर–425770 सी / ओ काउसंलर हाई कमीशन इंडिया – 31, ग्रेंज रोड सिंगापुर– 239702	Loveandhope1307@gmail.com Fscons@hcisingapore.org

(त)	स्पेन	निनस सीन फटंनरस चिल्ड्रेंन विदआउट फटंनरस एविडा. यूरोप न. 34, ब्लॉक–बी, ईएससी.डेरेचाा लो इजिकोइरा–28023 अरवाका– मैड्रिड–स्पेन	Nsf.cwf@nsf-cwf.org
		नमस्ते (एसोशियसन) अरागानोइसा) पारा ला प्रोमोसीन दी ला इंफासी) सी / ओ 79, 81, 2, डी 50001 जारागोजा (स्पेन)	Asocnamaste@terra.es Namaste.es@gmail.com
		यमुना एसोशियसन चिल्ड्रेंन आइड सी / पेरिस, 97, लोकल–2–08029– बार्सिलोना, स्पेन	Info@yamuna.org
		ईसीआई, बाल बालिका इंटरनेशनल एडोपसन ईनरिक बोरस न. 30 बाजोस, 08912, बादालोना बार्सिलोना, स्पेन	Bertranr@icab.es Balbalika@lycos.es Mmonla@ecaibalbalika.com Informacio@ecaibalbalika.com Rbertranp@gmail.com
(थ)	स्वीडन	एडोपसनसिनटोरम बॉक्स–11139 161 11 बोरमा स्वीडन	Info@adoptionscentrum.se Monica.lind@adoptionscentrum.se
		चिल्ड्रेंन एब्ब अल एडोपसन इनइरजीस्थानन, 11, एस–43437 कूगसाबाका स्वीडन	Adoption@bfa.se Katarina@bfa.se
		फेमिली एसोशियसन इंटरकन्ट्री एडोपसन पी.ओ बॉक्स – 12027, एसई– 40241 गुटनबर्ग स्वीडन	Adoption@ffia.se Monica.Samuelson@ffia.se
(द)	स्विट्जरलैंड	टेरे डेस होम्स एवेन्यू डी मोंटचाईआई 15 चे.1006 लुसाने स्विट्जरलैंड	Mariene.hofstetter@tdh.ch Rlu@tdh.ch Ruth.luget@tdh.ch Adoption@tdh.ch Mho@tdh.ch Info@tdh.ch
		फाउडेंशन इनफेंन्टस ईसपोर मैडमई हेल्गा नेई– 1053, बोरथीगनई स्विट्जरलैंड	Helga.ney@worldcom.ch Priti_aeschbacher@yahoo.com
(ध)	संयुक्त अरब अमीरात	ओमना मीनन बॉक्स न. 24202 दूबई (यूअई)	Omanamenondubai@gmail.com
(न)	योके	इंटरकन्ट्री एडोपसन सेंटर फार्स्ट फोलोर, 71–73 हाई स्ट्रीट, बार्नेट, हट्र्स, इन 5 5 ओर, यूनाइर्टड किंगडम	Gillhaworth@icacentre.org.uk
(प)	संयुक्त राज्य अमेरिका	लव बासकेट 10306 बिजनेस 21, हिल्सबोरो, एमओ 63050, यूएसए	लव बासकेट 10306 बिजनेस 21, हिल्सबोरो, एमओ 63050, यूएसए
		ईलीइन एडोपसन इंटनरेशनल, इंक, 1250, पिडमांट एवेन्यू, अटलांटा गा – 30309. यूएसए	ईलीइन एडोपसन इंटनरेशनल, इंक, 1250, पिडमांट एवेन्यू, अटलांटा गा – 30309. यूएसए
		चिल्डेंन हाउस इंटरनेशनल पी/ व बॉक्स 1829, (5711, विस्टा, सुइट 101 ए) फर्नडेल, वा 98248, यूएसए	चिल्डेंन हाउस इंटरनेशनल पी/ व बॉक्स 1829, (5711, विस्टा, सुइट 101 ए) फर्नडेल, वा 98248, यूएसए

	संयुक्त राज्य अमेरिका	वाइड ओरिजन्स चिल्डेंन 375, टोटेनहम पोन्ड रोड, सुइट 400 वॉल्थम, मा 02451, यूएसए	वाइड ओरिजन्स चिल्डेंन 375, टोटेनहम पोन्ड रोड, सुइट 400 वॉल्थम, मा 02451, यूएसए
		चिल्डेंन होम सोसाइटी व फेमिली सरबीस, 1605 यूस्टिस स्ट्रीट संत पॉल, मन 55108–1219, मिनोसोटा 55108 , यूएसए	चिल्डेंन होम सोसाइटी व फेमिली सरबीस, 1605 यूस्टिस स्ट्रीट संत पॉल, मन 55108–1219, मिनोसोटा 55108 , यूएसए
		होप एडोपसन और फेमिली सरबीस इंटरनेशनल इंक 5850 ओमाहा एवेन्यू नोरथ ओके पार्ट हाईस्ट मिनोसोटा 55082 , यूएसए	होप एडोपसन और फेमिली सरबीस इंटरनेशनल इंक 5850 ओमाहा एवेन्यू नोरथ ओके पार्ट हाईस्ट मिनोसोटा 55082 , यूएसए
		होल्ट इंटरनेशनल चिल्डेंन सरबीस इंक पोस्ट ऑफिस बॉक्स 2880 (1195 सिटी वीयू एसटी), यूजीन, ओर 97402, यूएसए	होल्ट इंटरनेशनल चिल्डेंन सरबीस इंक पोस्ट ऑफिस बॉक्स 2880 (1195 सिटी वीयू एसटी), यूजीन, ओर 97402, यूएसए
		बाल जगत चिल्डेंन वर्ल्ड इंक 5199 ईस्ट पेसफिक कोसट हाईवे सुइट 204, लोंग बींच कैलिफोर्निया 90804यूएसए	बाल जगत चिल्डेंन वर्ल्ड इंक 5199 ईस्ट पेसफिक कोसट हाईवे सुइट 204, लोंग बींच कैलिफोर्निया 90804यूएसए
		बेय एरिया ऍडोप्शन सर्विसस इंटरनेशनल ऍडोप्शन 465 फेयरचाल्इड ड्राइव स्वीट–215 माउटेन व्यू, केलीफोरनीया–94043–2251 यूएसए	बेय एरिया ऍडोप्शन सर्विसस इंटरनेशनल ऍडोप्शन 465 फेयरचाल्इड ड्राइव स्वीट–215 माउटेन व्यू, केलीफोरनीया–94043–2251 यूएसए
		मार्फत सपेंस चापिन सर्विसस टू फैमिलीज एंड चिल्डरन नं 6 ईस्ट 94स्ट्रीट, न्यू यॉर्क, एनवाई 10128–0698, यूएसए	मार्फत सपेंस चापिन सर्विसस टू फैमिलीज एंड चिल्डरन नं 6 ईस्ट 94स्ट्रीट, न्यू यॉर्क, एनवाई 10128–0698, यूएसए
		चिल्डरन ऑफ द वर्ल्ड आइएनसी, 19940 स्टेट एचडब्ल्यू 181 स्वीट सी–4, फेयरहोप एलामा 36532 यूएसए	Reggie@childrenoftheworld.com Pat@childrenoftheworld.com Patalsuplee@gmail.com Teresa@childrenoftheworld.com
		द बार्कर फाउंडेशन जॉर्जटाउन रोड, प्रथम फ्लोर, बेथेस्डा, एमडी 20814, यूएसए	Mregier@barkerfoundation.org Info@barkerfoundation.org Bbetz@barkerfoundation.org
		जरनी ऑफ द हर्टस ऍडोप्शन सर्विसस पीओ बॉक्स 39, हिल्सबोरो ओरेगन 97123, यूएसए	Info@journeysoftheheart.net Lisa@journeysoftheheart.net
		मैसर्स इंटरनेशनल फैमिली सर्विसस (आईएफएस) 700 एस फेंडसवुड ड्राईव, स्वीट एफ फ्रेडसवुड, टीए 77546, यूएसए	Info@ifservices.org Bob@ifservices.org
		वर्ल्ड एसोसिएशन फोर चिइल्डरन एंड पेरेंटस (वाकाप) पी.ओ.बॉक्स 88948, सेएटेल, वाशिंगटन–98138 / 315 साउथ सेकैंड स्ट्रीट रेनटन, वाशिंगटन–98055, यूएसए	Wacap@wacap.org

	संयुक्त राज्य अमेरिका	बैथनी क्रीस्टीन सवर्सिस इंटरनेशनल सर्वसिस 901 इर्स्ट एवेन्यू एनई पी.ओ. बॉक्स 294 गेंड रेपिडस एमआई 49501–0294 यूएसए	Bcsinternational@bethany.org Cbultsma@bethany.org
		डीलन इंटरनेशलन आईएनसी 3227 ईस्ट 31 स्ट्रीट स्वीट 200 तुलसा, ओके 74105 यूएसए	Info@dillonadopt.com Tami@dillonadopt.co Jynger@dillonadopt.com
		फैमिली थ्रू इंटरनेशनल ऍडोप्शन आईएपसी 991 साउथ केनमोर ड्राइव ठवेनसवील, आईएन 47714, यूएसए	Adopt@ftia.org
		इंटरनेशनल क्रीचीयन ऍडोप्शन 41745 राईडर वेय, # 2, टेमेकुला सीए 92590, केलीफोरनीया, यूएसए	Cascadeics@aol.com Info@4achild.org
		मैसर्स अमेरिका वर्ल्ड ऍडोप्शन एसोसिएशन आईएपसी 6723 वाहिटियर एवेन्यू स्वीट 202 मेलेअन, वा 22101, यूएसए	Brain.luwis@awaa.org
		एडोप्शन एसोसियेट आईएनसी (एएआई) 1338, बालदवीन, जेनीसन एमआई 49428, यूएसए	Adopt@adoptionassociates.net
		फैथ इंटरनेशनल ऍडोप्शन 1105 टाकोमा एवेन्यू, साउथ टाकोमा, वा 98402	Faith@faithadopt.org
		एक्रोस द वर्ल्ड ऍडोप्शन 399, टेलर बीएलवीडी, स्वीट 102 पलीजेंट हिल, केलीफॉरनिया 94523, यूएसए	Adopt@atwakids.org
		यूरोपियन ऍडोप्शन कंस्लटेंट आईएनसी 12608 एएलएमेडा ड्राईव, स्टौंगविल्ले, ओ 44149 यूएसए	Eacadpt@aol.com K.whelan@eaci.com Adopt@eaci.com
		इंटरनेशनल ऍडोप्शन नेट 7500 ई एरापाहोई रोड एसटीई #250 केनअेननीएल, को 80112	Info@adoptioninternational.net
		ला विडा इंटरनेशनल वाल्नट हिल प्लाजा, 150 साउथ वार्नर रोड, स्वीट 144, किंग ऑफ प्रोशिया, पीए 19406 यूएसए	Info@lavida.org
		लाइफलाइन चिल्डरन सिवर्सिस 2104 रोकी रिज रोड बीरमिनगम, एएल 35216 यूएसए	Lifeline@lifelineadoption.org Jessica.oetting@lifelinechild.org
		ऍडोप्शन एवेन्यू (न्यू) 9498 एसडब्ल्यू बारबुर बीएलवीडी स्वीट 305, पोर्टलैंड टोर 97219, यूएसए	Info@adoptionavenues.org

परिशिष्ट–ड केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/एमईए द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण एकक, कोर्ट द्वारा विभिन्न हितधारकों के लिए जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र और परामर्श निम्नानुसार है–

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

फाइल सं. आईपी03/20/2016/कारा दिनांक : 05/04/2017

कार्यलय ज्ञापन

विशय : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 (ग) के तहत अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 28(1) और 46(1) एवं (2) के तहत निर्धारित दत्तक ग्रहण भुल्क :

1. यह पत्र उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 2017 के समसंख्यक परिपत्र के क्रम में है।
2. दत्तक ग्रहण शुल्क (पूर्व में सीसीसी के नाम से जाना जाती थी) का भुगतान पुनरीक्षणाधीन और सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है। तथापि, जैसा कि दिनांक 23 मार्च, 2017 के हमारे परिपत्र में सूचित किया गया है, भावी दत्तक माता–पिता द्वारा मौजूदा शुल्क का भुगतान निम्नलिखित किस्तों में किया जाता रहेगा :–

(क) देशीय दत्तक ग्रहण शुल्क

(i) स्वीकृति के समय : 24,000/–रू

(ii) न्यायालय का आदेश सौंपते समय : 16,000/–रू

कुलः 40,000/–रू

नोट : उपर्युक्त राशि में विधि शुल्क शामिल है और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों द्वारा इस मद पर किया गया व्यय प्राप्त कुल दत्तक ग्रहण शुल्क के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। भुगतान का अनुपात भी इसी प्रकार रहेगा अर्थात् आवेदन दाखिल करने पर 4,800/–रू एवं कोर्ट न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद 3,200/–रू

(ख) अंतर देशीय दत्तक ग्रहण शुल्क

(i) स्वीकृति के समय : 3000/– अमेरिकी डॉलर

(ii) कोर्ट आदेश सौंपते समय : 2000/– अमेरिकी डॉलर

कुलः 5000/–अमेरिकी डॉलर

नोट : उपर्युक्त राशि में विधि शुल्क शामिल है और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों द्वारा इस मद पर किया गया व्यय प्राप्त कुल दत्तक ग्रहण शुल्क के 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। भुगतान का अनुपात भी इसी प्रकार रहेगा अर्थात् आवेदन दाखिल करने पर 150 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य और न्यायालय की आदेश प्राप्त होने के बाद 100 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य।

3. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के माध्यम से बाल देखरेख संस्था से दत्तक ग्रहण के मामले में, दत्तक ग्रहण शुल्क विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और बाल देखरेख संस्था प्रत्येक के लिए 50 प्रतिशत होगी।
4. यह दिनांक 31 मार्च, 2017 को प्राधिकरण की संचालन समिति की बैठक में दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है और सभी संबंधित अनुपालन हेतु इस नोट करें।

ह.
(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं मुख्यकार्यपालक अधिकारी

प्रति :

सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण / प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सभी केंद्रीय प्राधिकरण

प्रतिलिपि :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
सभी राज्य एवं केंद्र शसित प्रदेश
सभी सारा एवं जिला बाल संरक्षण एकक

सूचनार्थ प्रतिलिपि : कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

फाइल सं. एलपी03/20/2016/कारा

दिनांक : 23 मार्च, 2017

विषय : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68(ग) के तहत अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 28(1) और 46(1) और (2) के तहत निर्धारित दत्तक ग्रहण शुल्क

1- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खण्ड (3) के साथ पठित धारा 68 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 17 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1945 (अ) द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2015 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग ii , खण्ड 3 उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित बालकों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015 के अतिरिक्त उन बातों के अधिकार कराते हुए जिन्हें अधिकतम से पूर्व किया गया है करने का लोप किया गया है केंद्रीय सरकार/ केंद्र सरकार ने 4 जनवरी 2017 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 3(अ) (फाइल सं. 18–06/2014–सीडब्ल्यूसी ii) के द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निरूपित दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 को अधिसूचित किया है।

2- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की संचालन समिति ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 69(3) (ग) के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के अंगीकृत किया है। अब दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 के विनियम 46(1) और (2) के अनुसरण में और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 61(ग) के अनुसार में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने एतदद्वारा अधिसूचित किया है कि बालकों के दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, 2015 की अनुसूची 13 में यथा के तहत निर्धारित दत्तक ग्रहण शुल्क जारी रहेंगे दिनांक 16.01.2017 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

ह.

(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी (कारा)

प्रति :

सभी विशिष्ट वत्तक ग्रहण अभिकरण
सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सभी केंद्रीय प्राधिकरण

प्रतिलिपि–

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय भारत सरकार
सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
सभी सारा व डीसीपीयू

सूचना व प्रति–कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

फाइल नं. कारा–आईसीटी011/18/2016–(कार्यक्रम एवं प्रशासन) दिनांक–28/04/2017

परिपत्र

विशय– कारा की रिलेक्सेशन समिति का गठन

1. दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 60(2) के प्रावधानों के तहत रिलेक्सेशन समिति का गठन किया गया।
2. इसके अतिरिक्त, कारा की संचालन समिति ने दिनांक 30 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठक द्वारा निम्नलिखित मामलों पर निर्णय लेने का दायित्व मुख्यकार्यकारी अधिकारी, कारा को प्रत्यायोजित किया है–

   क) उन सभी मामलों में जहां अभिभावकों ने ज्ञात मामला (बीमारी/दुर्घटना) के कारण अपना बच्चा/बच्चे खो दिए हैं, बशर्ते कि ऐसा लापरवाही के कारण न हुआ हो और जिनका कोई ओर जीवित बच्चा/बच्चे नहीं हैं, गृह अध्ययन रिपोर्ट अपलोड होने के बाद भावी दत्तक ग्रहण माता–पिता की पात्रता और चयन के अनुसार तत्काल अभिनिर्देश दिया।

   ख) उन सभी मामलों में जहां अभिभावकों ने ज्ञात मामला (बीमारी/दुर्घटना) के कारण अपना बच्चा/बच्चे खो दिए हैं, बशर्ते कि ऐसा लापरवाही के कारण न हुआ हो और जिनका कोई जीवित बच्चा/बच्चे है वरिष्ठता में 6 माह की पूर्व तिथि प्राथमिकता दी जा सकती है।

   ग) ऐसे भावी दत्तक माता–पिता को जो अधिक आयु की सहोदर भाई–बहन और विशेष जरूरतों वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण करना चाहते है; का अधिकतम एंव न्यूनतम आयु के मामले में।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह.
(जे.पति)
संयुक्त निदेशक, कारा

प्रति–

1- सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)
2- सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएए)

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

फाइल सं. कारा–एससीआई011/5/2017
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

दिनांक : 19 मई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विशय : दत्तक ग्रहण में बाल कल्याण समिति (सीडब्लयूसी) का गठन एवं उत्तरदायित्व

प्रत्येक राज्य सरकार/केंद्र शसित प्रदेश प्रशासन द्वारा किशोर न्याय (जे.जे) अधिनियम, 2015 की धारा 27 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम, 15 के अनुसार प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) का गठन जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होंगे और इसके तहत निरूपित नियमों/विनियमों के तहत इसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किया जाएगा।

2. बाल कल्याण समितियों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 28(1) के अनुसार माह में कम से कम 20 दिन बैठके करने का अधिदेश प्राप्त है और उनसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (धारा 30), किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 (नियम 17) और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दत्तक ग्रहण से संबंधित निम्नलिखित कार्यों/उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना अपेक्षित हैः–

(क) सुनिश्चित करना कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद सभी बच्चों (अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों) को 24 घंटो (यात्रा अवधि को छोड़ कर) के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 30 (XII) के अनुसार स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया जा सकता है।

(ख) किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रारूप 18 के अनुसार यदि जिले में कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उपलब्ध न हो तो ऐसे बच्चों को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बाल देखभाल संस्था में भेजने के लिए अंतरिम देखभाल आदेश जारी करना।

(ग) किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रारूप 26 के अनुसार सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक बच्चे की मामला निगरानी शीट का रख–रखाव करना।

(घ) जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) को अखबार में परित्यक्त बच्चे की फोटो एवं ब्यौरे का विज्ञापन प्रकाशित करवाने (दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 का विनियम 6(6) के संदर्भ में) और रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या बच्चे का दावा करने के लिए जैविक माता–पिता या विधिक अभिभावक या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने डीसीपीयू या एसएए से संपर्क किया हैं (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 6(9) के संदर्भ में) आदेश जारी करना। यदि डीसीपीयू क्रियाशील नहीं है तो जिला मजिस्ट्रटे ऐसे विज्ञापन जारी कराएगा (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 6(8) के संदर्भ में)।

(ड़) परित्यक्त बच्चे के मामले में, पुलिस स्टेशन को (जिसके अधिकार क्षे में परित्यक्त बच्चा मिला हो) परित्यक्त बच्चे के दावाकर्ता (जैव माता–पिता/विधिक अभिभावक) का पता लगाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी करना। यदि दो वर्ष से कम या अधिक उम्र के परित्यक्त बच्चे के मामले में पुलिस द्वारा बच्चे के जैव माता–पिता या विधिक अभिभावक का पता न लग पाने के संबंध में रिपोर्ट क्रमशः दो या चार माह के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 6(11) के अनुसार यह मान लिया जाएगा कि रिपोर्ट दे दी गई है।

(च) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 36 के अनुसार, डीसीपीयू के परिवीक्षा अधिकारियों अथवा विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी को मामले में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करना।

(छ) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 38(1) के परंतुक में यथा निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो अनुस्मारक जारी करना आवश्यक है और सारा के माध्यम से जिला मजिस्ट्रट एवं कारा के हस्तक्षेप से स्तर को बढ़ाने की जरूरत होती है।

(ज) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 40(3) के अनुसार यदि बच्चों को जन्म देने वाले माता–पिता या विधिक अभिभावक का पता चल जाता है या वे बच्चे का दावा करने के लिए आते है तो परित्यक्त बच्चे को पुनः लौटा देना। ऐसी स्थिति में बच्चे को सौंपने से पहले बच्चे पर जन्म देने वाले माता–पिता या विधिक अभिभावक के रूप में दावा करने वालों की वास्तविकता सिद्ध करना आवश्यक है।

(झ) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 35 के अनुसार बच्चे के जैव माता–पिता या अविवाहित माता जो इसे सीडब्ल्यूसी अपने बच्चे को छोड़ने/अभ्यर्पित करने के लिए सीधे या एसएए/सीसीआई किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से संपर्क करते हैं,उनसे दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 7 (13), (20), (21) और (22) में यथा परिभाषित उनकी निजता के अधिकार का आदर भरते ही उनसे ऐसी रीति से ऐसे स्थान मिलना जो उन्हें सुविधा, प्रतिष्ठा व आश्वासन देता हो।

(ञ) यदि जैविक माता–पिता या अविवाहित माता, बच्चे के अभ्यर्पण की विधिक प्रक्रिया नहीं करना चाहती और किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 के फॉर्म 23 के अनुसार आवेदन करने में इच्छुक नहीं है तो उन्हें उसे सीडब्ल्यूसी के पास बच्चा छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। फलस्वरूप बच्चे का सुरक्षित अभ्यर्पण किया जा सकेगा और सीडब्ल्यूसी को अभ्यर्पित बच्चे के मामले में प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

(ट) बच्चे को अभ्यर्पित करने वाले माता–पिता को हेतु परामर्श देना :

(i) कि उसके पास अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए 60 दिन है;

(ii) कि यदि 60 दिनों के अंदर बच्चे पर दावा नहीं किया जाता तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जा सकता है;

(iii) कि सीडब्ल्यूसी द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित हो जाने के बाद बच्चा दत्तक ग्रहण में दूसरे परिवार में जा सकता हैं; और

(iv) कि सीडब्ल्यूसी द्वारा दत्तक ग्रहण हेतू कानूनी रूप से मुक्त घोषित हो जाने के बाद और/ या सक्षम कोर्ट द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश जारी कर दिए जाने के बाद उनके पास बच्चे पर दावा करने/कानूनी हक जताने का अधिकार नहीं होगा।

(ठ) दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 की अनूसूची अमें दिए गए प्रारूप के अनुसार उसके (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष निष्पादित आत्मसमर्पण विलेख प्राप्त करें, यदि परामर्श सेवा के बावजूद भी अभ्यर्पण करने वाले माता–पिता अभ्यर्पण के लिए दवाब डालते है।

(ड) अभ्यर्पण करने वाले माता–पिता को अभ्यर्पण विलेख की प्रति प्रदान करना।

(ढ) दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 4(ग) 52 और 55 (2) के अनुसार दत्तक ग्रहण करने के लिए जैव माता–पिता द्वारा सौतले माता–पिता के द्वारा वाले बच्चे/बच्चों के अभ्यर्पण के मामले में, दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 की अनुसूची XX के अनुसार सभी संबंधितों की सहमति की जांच करने के बाद,ऐसे दत्तक ग्रहण की अनुमति दी जाए।

(ण) अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु दो वर्ष तक के बच्चों को प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह और दो वर्ष से अधिक के बच्चों किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 38(1) के संदर्भ में चार माह की निर्धारित समय सीमा के भीतर कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना।

(त) किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 36(4) के तहत अधिदेशित किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 के फॉर्म 16 के अनुसार प्रत्येक तिमाही जिला मजिस्ट्रट/जिला कलक्टर/उप आयुक्त को अनाथ/परित्यक्त/आत्मसमर्पित बच्चों (दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त) के मामले के निपटान और मामले में विलंब की प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट करना।

(थ) इसके (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित बच्चों का विवरण/आंकडों और इसके द्वारा निर्णय लेने के लिए लंबित मामलों पर भी पर रिपोर्ट और दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 की अनुसूची (ट) के अनुसार बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) पर ऑनलाइन माध्यम से सारा और कारा को प्रत्येक माह रिपोर्ट करना। बाल कल्याण समिति के सचिव (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27(3) के अनुसार डीसीपीयू द्वारा उपलब्ध करवाये जाएगा केयरिंग्स पर सही एवं समयपूर्वक रिपोर्ट को अपलोड कर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(द) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 30 (अपपप) के अनुसार प्रत्येक माह कम से कम दो एसएए का निरीक्षण करना और उनकी आवासीय सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवता देखने के लिए तथा आवश्यकतानुसार उपचारी उपाय के लिए डीसीपीयू और सारा को निरीक्षण रिपोर्ट भेजना।

3. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सीडब्ल्यूसी से अपेक्षित है कि वे समुचित सावधानी एवं निष्ठा से बच्चों के सर्वोतम हित में उपर्युक्त जिम्मेदारियों को निभाएंगे जो उनके अस्तित्व/अधिदेश का उद्देश्य है।

ह.

(राजेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति :

1- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)

2- सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उप आयुक्त (यथा स्थिति)

3- देश के सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सारा)

4- सभी राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन (महिला एवं बाल विकास/सामाजिक कल्याण/सामाजिक न्याय/बाल अधिकार विभाग) यथास्थिति

फाइल सं. कारा–एससीआई011/2/2017
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

दिनांक : 19 मई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दत्तक ग्रहण में जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलैक्टर/उप आयुक्त के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी।

प्रत्येक अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चे को किशोर न्याय (जे.जे) अधिनियम, 2015 की धारा 56(1) के अनुसार दत्तक ग्रहण के जरिए 'परिवार का अधिकार' प्राप्त है।

2. जिले के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलैक्टर/उप–आयुक्त की जिले में अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने, सुकर बनाने और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उक्त सभी का प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 और दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 में है और इनका नीचे विस्तार से उल्लेख किया गया है।

3. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 32 के अनुसार लागू करना आवश्यक है जिसे जिले में नर्सिंग होम्स/मैर्टनिटी (प्रसूति) होम्स अस्पतालों/बस स्टैंड और अन्य प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग/पोस्टर लगाकर जिले की बाल कल्याण समिति को देखभाल की जरूरत वाले बच्चों (अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों) की 'अनिवार्य रिपोर्टिंग' के प्रावधान को लागू किया जाएगा। ऐसे मामलों की रिपोर्ट न करना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 33 और 34 के अधीन एक अपराध है और दंडनीय है।

4. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 32 के अनुसार चिकित्सा बंधुओं का संवेदीकरण किए जाने की जरूरत है क्योंकि नर्सिग होम्स, अस्पतालों व मैर्टनिटी होम्स द्वारा सभी परित्यक्त अथवा गुमशुदा बच्चों के बारे में 'अनिवार्य रिपोर्टिंग' आवश्यक है। जन स्वास्थ्य विभाग के लिए यह अनिवार्य बनाना चाहिए सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में इस के संबंध में बोर्ड लगाना (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 33 के अनुसार रिपोर्ट न करना एक अपराध है और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 34 में इस अपराध के लिए छह माह की कैद और/या 10,000 रू. के जुर्माने का प्रावधान है)।

5. नर्सिंग होम्स/अस्पतालों/मैटर्निटी होम्स में पालना की व्यवस्था सुनिश्चित करें (साथ ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, पंजीकृत बाल संरक्षण संस्थानों, जिला बाल संरक्षण एकक और चाइल्ड लाइन (1098) के संपर्क नम्बरों का उल्लेख हो) ताकि ऐसे बच्चों की सुरक्षित परित्यक्तता सुनिश्चित की जा सके जिनके जैव माता–पिता सामाजिक और भावनात्मक कारकों से जो उनके नियंत्रण के बाहर हैं, उन्हें छोड़ना चाहते है और उन्हें अभ्यर्पित करने के लिए आगे नही आना चाहते हैं।

6. दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 6(8) के अनुसार यदि जिला बाल संरक्षण एकक कार्यशील नहीं है तो बाल कल्याण समिति के समक्ष लाए गए अनाथ/परित्यक्त बच्चों के लिए विज्ञापन जारी करवाएं।

7. यह सुनिश्चित करें कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 28 के अनुसार बाल कल्याण समिति माह में कम से कम बीस दिन बैठके करे, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27(8) में यथा अधिदेशित तिमाही आधार पर उनके कार्यों की समीक्षा करें और अनिवार्य रूप से आवश्यक उपचारी उपाय करें।

8. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27(10) में यथा उपबंधित एक मजबूत 'शिकायत निवारण तंत्र' और मानक संचालन प्रक्रिया लागू करें ताकि के अनुसार बाल कल्याण समिति के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का समयपूर्वक और गुणात्मक निपटान किया जा सके। इस संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया/आदेश की प्रति सभी संबंधितों (बाल कल्याण समिति, पुलिस, एसएए/सीसीआई, डीसीपीयू, सारा और कारा सहित) को पृष्ठांकित किया जाए।

9. अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त किए जाने वाले मामले जो बाल कल्याण समिति के समक्ष लंबित है, के संबंध में तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्राप्त करें और उसकी पुनरीक्षा करें और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 36(4) से (7) के अनुसार उपचारी उपाय करें।

10. बाल कल्याण समिति के समक्ष लंबित मामलों की पुनरीक्षा के आधार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को प्रेषित करें और उसकी एक प्रति कारा को भी प्रेषित करें।

11. बाल कल्याण समिति को सचिवालयी सहायता के लिए एक सचिव और अन्य स्टाफ का प्रावधान सुनिश्चित करें ताकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27(3) के अनुसार उनकी प्रभावी कार्यदृष्टि को समर्थ बनाया जा सके।

12. जिला बाल संरक्षण एकक की मासिक आधार पर बैठक आयोजित करें और दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 के विनियम 34 में यथा परिभाषित भूमिका के अनुसार उसके कामकाज की पुनरीक्षा करें। ऐसी बैठकों के कार्यवृत के साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण एकक केयरिंग पर अपलोड की जाएगी।

13 सुनिश्चित करें कि सभी सीसीआई किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 के तहत पंजीकृत हों। यह भी सुनिश्चित करें कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 66(2) और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 58 के तहत यथा अधिदेशित अनुपालन हेतु एक माह की समय सीमा में एसएए–सीसीआई से लिंक कर दिए जाएं।

14. दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनिमय 6(5) के अनुसार चाइल्डलाइन द्वारा दत्तक बच्चों के लिए दिए गए डाटा को प्राप्त करना, प्रमाणित करना और केयरिंग्स में उसकी प्रविष्टि करने के साथ ही सीसीआई करने के साथ लिंक करने और उसके बाद सुनिश्चित करें कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 66 के तहत उन्हें दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जा सकता है।

15. यह सुनिश्चित करें कि जिला बाल संरक्षण एकक द्वारा माह में एक बार जिलों के एसएए और सीसीआई की निगरानी एंव निरीक्षण किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 54 के अनुसार किया जाता हो और डीसीपीयू द्वारा निरिक्षण रिपोर्ट केयरिंग्स में अपलोड की जाती हो।

16. यह सुनिश्चित करें कि संस्थान में मौजूद प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चा वास्तविक समय आधार पर केयरिंग्स में पंजीकृत किया गया हो और संस्थान के मासिक

निरीक्षण के दौरान डीसीपीयू द्वारा उसका सत्यापन किया गया हो (दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 के विनियम 34(8) के संदर्भ में)।

17. यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसएए द्वारा दत्तक ग्रहण याचिका निर्धारित प्रारूप (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची xxxviii से xxxii)और 10 दिनों की निर्धारित समय सीमा में (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 का विनियम 12(1) के संदर्भ में) दायर की गई हो संरक्षण अधिकारी, गैर–संस्थागत देखभाल और विधि–सह–परीवीक्षा अधिकारी के जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना और दो माह की निर्धारित समय सीमा में मामलों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कोर्ट में ट्रैक/अनुवर्तन किया गया हो (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 61(2)के संदर्भ में)।

18. राज्य सरकारों का किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 65 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के तहत मान्यता देने के लिए साथ–साथ समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए एसएए के आवेदन पर समय से टिप्पणी एंव संस्तुति देना।

19. सभी जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों के कानूनी दत्तक गह्रण के संवर्धन एवं विनियमन के लिए संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई की गई हो।

ह.

(राजेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति–

1. सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलैक्टर/उपायुक्त (यथा स्थिति)
2. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की बाल कल्याण समितियां
3. देश के सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
4. सभी राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन (महिला एवं बाल विकास/समाजिक कल्याण/सामाजिक न्याय/बाल अधिकार विभाग) (यथास्थिति)

फाइल सं.कारा/आईएनडी/नीति/2017/3 दिनांक 18/07/2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय– किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुसार सारा के शासी निकाय का गठन, उसकी भूमिका और तिमाही बैठकें

1. राज्य सरकार द्वारा राज्य में दत्तक ग्रहण और संबंधित मुद्दों का निपटारा करने के लिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) की स्थापना करना आवश्यक है। जहां कही भी ऐसे राज्य अभिकरण पहले से मौजूद हैं, उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गठित माना जाएगा (अधिनियम की धारा 67 का संदर्भ लें)

2. सारा का एक शासी निकाय होगा जिसकी अध्यक्षता दत्तक ग्रहण से संबंधित राज्य विभाग के मुख्य सचिव या सचिव द्वारा की जाएगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे (दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 का विनियम 33(1)(ग) का संदर्भ लें);–

(क) दत्तक ग्रहण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग के निदेशक जो सदस्य सचिव होंगे;

(ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य या अस्पताल विभाग या अस्पताल प्रशासन के निदेशक;

(ग) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष;

(घ) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) के प्रतिनिधि;

(ड) बाल कल्याण और संरक्षण से कम से कम दस वर्षों से जुड़ा सिविल सोसाइटी का एक सदस्य;

(च) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य;

3. सारा से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 67(1) के अनुसार केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन संबंधी मामलों का निपटारा करना अपेक्षित है ।

4. सारा की भूमिका एंव कार्यों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 62(2) और 65(2) के साथ–साथ दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 33(2) में अनुबंधित किया गया है। सारा द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नीचे उल्लेख किया गया है–

क) प्रत्येक दत्तक ग्रहण मामले की प्रगति की जांच करना और जहां आवश्यक हो उपचारी उपाय हेतु हस्तक्षेप करना (किशोर न्याय अधिनियम, 2015) की धारा 62(2) का संदर्भ लें);

ख) केयरिंग्स में प्रत्येक एसएए की मान्यता स्थिति, विशेषकर उसकी वैधता अवधि को अद्यतन करना;

ग) दत्तक ग्रहण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तिमाही आधार पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों की बैठकें आयोजित करना और बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को अपलोड करना;

घ) अपने अधिकार क्षेत्र में सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों की आवधिक रूप से उनके कार्यक्रम एंव गतिविधियों का निरिक्षण एवं निगरानी करना;

ड.) उन बाल देखभाल संस्थाओं की पहचान करना जिन्हें विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से संबंध करना ताकि ऐसे संस्थानों में पात्र बच्चों का दत्तक ग्रहण किया जा सके;

च) ऐसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों या बालकों की देखरेख संस्थानों की पहचान करना जिन्हें विशेष जरूरतों वाले बच्चों सहित एचआईवी एड्स से प्रभावित या संक्रमित और मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दीर्घकालिक आधार पर गुणवत्ता पूर्ण देखभाल और उपचार करने की क्षमता है तथा इन अभिकरणों में ऐसे बच्चों का स्थानांतरण सुकर बनाना;

छ) राज्य की बाल कल्याण समितियों द्वारा बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एंव मार्गदर्शन प्रणाली में ऑनलाइन प्रस्तुत डाटा को अधिनियम की धारा 38(5) के उपक्रमों के अनुसार प्रमाणित करना;

ज) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली में यह सुनिश्चित करना कि इन विनियमों में विहित प्रारूप एंव अवधि के अनुसार सही दत्तक ग्रहण डाटा एंव दस्तावेजों का प्रस्तुती करना और उन्हें प्रमाणित करना;

झ) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में अधिनियम की धारा 65(2) के तहत अपेक्षित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का विवरण प्रस्तुत या अद्यतन करना;

ञ) जिला बाल संरक्षण एककों, बाल कल्याण समितियों और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण का संपर्क विवरण नियमित आधार पर बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एंव मार्गदर्शन प्रणाली में अद्यतन करना।

ट) व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकताओं का एक पैनल बनाना और एक परामर्श केंद्र की स्थापना करना;

ठ) सुनिश्चित करना कि राज्य में सभी दत्तक ग्रहण स्थापन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अनुसार किए गए जाएं;

ड) अवैध दत्तक ग्रहण के मामलों में शिकायतों पर या अपने आप से उचित कार्रवाई करना।

5. सारा के शासी निकाय से राज्य में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार दत्तक ग्रहण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और राज्य में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया अथवा प्रणाली में प्रचालन के साथ–साथ लॉजिस्टिक मुद्दों एवं गत्यवरोध का निपटान करने की अपेक्षा की जाती है (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 33(1)(घ) के संदर्भ हेतु)।

6. पूर्ववर्ती को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनों से अनुरोध है कि 31 जुलाई, 2017 तक सारा के शासी निकायों का गठन करें (जहां अभी तक गठन नहीं किया गया है) और अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित करें। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाए जिसमें जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी, पासपोर्ट प्राधिकारी और किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकारी/

विभागीय प्राधिकारी को विशेष अतिथि के रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसी बैठको के कार्यवृत की प्रति प्रत्येक तिमाही कारा को भेजी जाए।

7. राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से यह भी अनुरोध है कि अपने संबंधित सारा को पर्याप्त स्टाफ, अवसंरचना एवं संचार सुविधायें प्रदान करें। उनके दक्षता से कार्या करने का निष्पादन हो सके।

8. यह अनुदेश किशोर न्याय बालकों की देखरेख और सरंक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 70(1)(क) के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते है।

ह.

दीपक कुमार

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रति–

(1) सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के महिला एंव बाल विकास विभाग/सामाजिक कल्याण/सामाजिक न्याय/सामाजिक सुरक्षा (यथास्थिति) के प्रधान सचिव/सचिव

(2) सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के संबंधित आयुक्त/निदेशक (आईसीपीएस एवं दत्तक ग्रहण से संबंधित)

प्रतिलिपि–

निदेशक, (सीडब्ल्यूसी–II), महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 640–ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001–सूचनार्थ।

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

फाइल सं. कारा–टीसी011/21/2016–प्रशिक्षण (खंड फाइल–।।) दिनांक 18/08/2017

परिपत्र

विशय– जिला बाल संरक्षण एककों द्वारा जिला स्तर पर भावी दत्तक माता–पिता, बड़े बच्चे और अन्य को दत्तक ग्रहण संबंधित मामलों पर परामर्श सुविधा का प्रावधान

1. दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 34(6) के प्रावधानों के अनुसार, सारा या कारा के सहयोग से जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) निम्नलिखित हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा बाल देखरेख संस्था की सहायता करने के लिए परामर्श केंद्र की स्थापना करेंगे–

(क) भावी दत्तक माता–पिता को परामर्श देना
(ख) बड़े बच्चे को परामर्श देना
(ग) दत्तक ग्रहण के पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना
(घ) अंतरदेशीय नातेदारी दत्तक ग्रहण के मामले में पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करना
(ड) दत्तक बच्चे और दत्तक माता–पिता को दत्तक ग्रहण पश्चात परामर्श देना
(च) दत्तक ग्रहण किए गए में बड़े बच्चों को उनके मूल परिवार की खोज में परामर्श देना

2. इसके अतिरिक्त, कारा की संचालन समिति ने दिनांक 29 जून, 2017 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया कि इस सांविधिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए राज्य एंव जिला स्तरो पर परामर्श सुविधाओं का विस्तार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तर पर उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना के तहत किया जाए।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि जिला बाल संरक्षण एकक और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण सप्ताह के एक विशेष दिन को जिला स्तर पर स्थित जिला बाल संरक्षण एकक के परामर्शदाता द्वारा दत्तक ग्रहण परामर्श के प्रयोजन हेतु निर्धारित करेंगे। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा सुविधा की उपलब्धता का व्यापक पैमाने पर प्रचार किया जाना चाहिए।

4. इस संबंध में विवरण सहित पुष्टिकरण दिनांक 30 सितंबर, 2017 तक इस प्राधिकरण को भेज दिया जाए।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह.
(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

प्रति–

1. सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)
2. सभी जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू)
3. सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए)

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

अर्द्धशासकीय पत्र सं. कारा–टीसी016/2/2017–प्रशिक्षण दिनांक –18 अगस्त, 2017

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है, देश में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों का दत्तक ग्रहण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और इसके तहत सूचित दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

2. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 और (किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रत्येक जिले में गठित जिला कल्याण समिति को जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते है और इसके तहत बनाए गए नियम/विनियम के तहत सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाहन करने का अधिदेश प्राप्त है।

3. राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति को निम्नलिखित प्रपत्र (मुद्रित प्रारूप में) जारी करें –

(क) बाल कल्याण समिति द्वारा रखे जाने वाले मामला सारा किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का प्रपत्र/फॉर्म 15
(ख) बाल कल्याण समिति द्वारा तिमाही रिपोर्ट– किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का फॉर्म 16
(ग) समिति के समक्ष बच्सचे को प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट– किशोर न्याय मॉडल नियम, 20 16 का फॉर्म 17
(घ) संस्थान में बच्चे के स्थानन का आदेश– किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का फॉर्म 18
(ड) देखरेख एंव संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट हेतु आदेश– किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का फॉर्म 21
(च) अभ्यपर्ण विलेख– किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का फॉर्म 24
(छ) बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने वाला प्रमाण पत्र– किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का फॉर्म 25

4. यह भी अनुरोध किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सभी जिलों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को स्टाम्प जारी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल कल्याण समिति देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के सर्वोत्तम हित में अपनी जिम्मेदारियों को समुचित सावधानी एवं निष्ठा से निष्पादित करें।

सादर,

भवदीय,

ह.
(दीपक कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संलग्नक– यथोपरि

प्रति–

सारा के सभी निदेशक

प्रतिलिपि–

सीडब्ल्यू–।।, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सूचनार्थ हेतु

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

फाइल नं. 1–11–2017 / संयुक्त निदेशक / परिपत्र

दिनांक–09 / 10 / 2017

परिपत्र

विषय– एमईआर, मिलान प्रकिया और विच्छिन्नता से संबंधित मामले

सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) का ध्यान देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की और आकर्षित किया जाता है–

(क) प्रायः ऐसा होता है कि सामान्य श्रेणी के तहत निर्दिष्ट बच्चे को चिकित्सीय समस्याएं होती हैं, जो एमईआर में नहीं दर्शाई जाती है और जब अभिभावक बच्चे की आमरक्षा कस्टडी लेने के लिए आते हैं, तो पूरक जांच में उनका पता चलता है। ऐसे मामलों में, यदि दत्तक ग्रहण अभिकरण (सरकार द्वारासंचालित और एनजीओ द्वारा संचालित एसएए दोनों) की लापरवाही पायी जाती हैं तो अभिकरण द्वारा चिकित्सीय शुल्क एंव माता–पिता के यात्रा किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) चूंकि बड़े बच्चों का दत्तक परिवार में समेकन में अधिक समय लगता है, सभी एसएए को दत्तक माता–पिता के साथ बड़े बच्चों का लगाव सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयाय करने की जरूरत है। इस संबंध में सभी एसएए से तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को स्वीकार करने से पहले कम से कम दो बार बच्चे की बैठकों की अनुमति देना अपेक्षित है।

(ग) इसके अतिरिक्त, देश में दत्तक ग्रहण में विच्छिन्नता के मामले में, सभी एसएए से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि माता–पिता को बच्चे को वापस करने की अनुमति देने से पहले दत्तक माता–पिता और बड़े बच्चे को कम से कम दो बार परामर्श दिए जाए। किसी भी मामले में निर्णय लेने में बच्चे के सर्वोत्तम हित पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह.
(जगन्नाथ पति)
संयुक्त निदेशक

प्रति–

1. सभी राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण
2. सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण–कार्यान्वयन और आगे जिला बाल संरक्षण एककों को परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ताकि एसएए द्वारा इसके अनुपालन की सख्ती से निगरानी की जा सके।
3. सीडब्ल्यू–।।, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय को–सूचनार्थ प्रेषित।

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

फाइल सं.1–11–2017/संयुक्त निदेशक/परिपत्र

दिनांक – 17/10/2018

संदर्भः दिनांक 09/10/2017 के कार्यालय परिपत्र

परिपत्र

विषय– चिकित्सा जांच रिपोर्ट(एमईआर) में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में

1. कारा के देश भर में ऐसे कई मामले प्राप्त हुए है जिनमें दत्तक ग्रहण पूर्व बच्चों को पालन पोषण देखरेख में लाए जाने के बाद विच्छेद हो गया है। इसका मुख्य कारण यह पाया गया है कि भावी दत्तक माता–पिता को सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए चिकित्सा जांच रिपोर्ट में बच्चों की सही स्वास्थ्य स्थिति नहीं बतायी गयी। यह लापरवाही की स्थिति दशाई है कि एसएए पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा सही निगरानी नहीं की जा रही है। निरपवाद रूप से, संस्थान में 'विस्तारित पवास से बच्चा प्रभावित होता है और जैसा कि विभिन्न निर्णयों एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में भी प्रतिष्ठापित है, यथाशीघ्र परिवार का प्यार एवं देखभाल प्राप्त करने में और विंलब होता है। आगे की विच्छिन्नताएं भावी दत्तक माता–पिता के लिए मानसिक क्षति का कारण बन जाती है और बच्चे ऐसी बीमारी–रोग के लिए जिससे वे पीड़ित हैं, समय पर चिकित्सा सहायता से वंचित रह जाते है।

2. बच्चे को संस्थागत देखभाल से एक प्यार भरे और ममता वाले पारिवारिक माहौल में निर्बाध, सुखद व तीव्र पारगमन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से बच्चों की चिकित्सा जांच रिपोर्ट को बिन किसी विसंगति के विशेष सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट में बच्चे का सही स्वास्थ्य स्थिति दशाई गई है। यह नोट करना प्रांसगिक है कि प्रत्येक बच्चे की चिकित्सा जांच रिपोर्ट को केयरिंग्स पर प्रत्येक छह महीन में या जब भी बच्चे में शारीरिक रूप से काफी बदलाव पाए जाए, अद्यतन करना आवश्यक है (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 6(15) के संदर्भ में)।

3. यदि बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति में चिकित्सा जांच रिपोर्ट में रिकॉर्ड किए गए विवरण की तुलना में अंतर पाया जाए तो एसएए और प्रमाणित करने वाले चिकित्सक के विरूद्ध कडी कार्रवाई जैसा प्रयोज्य की जाएगी। (दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 25(2)(ग) एवं (घ) के संदर्भ में)।

4. चिकित्सा जांच रिपोर्ट के अद्यतन प्रारूप की प्रति परिपत्र के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। इसका दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची पपप के स्थान पर उपयोग किया जाएगा।

5. यह परिपत्र कार्यान्वयन हेतु तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह.

दीपक कुमार

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

प्रति–

1. सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए)
2. सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)– अनुपालन एवं जिला बाल संरक्षण एककों को परिचालन सुनिश्चित करने हेतु
3. सीडब्ल्यू–II, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय–सूचनार्थ

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

फाइल नं. कारा.आईसीए012/3/2017

दिनांक 24/11/2017

परिपत्र

विशय– दत्तक बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के रूप में अनुपालन प्रमाण_ पत्र

सेवा में,
सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण
प्रिय एसएए,

यह पत्र किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत वैध दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने के बाद दत्तक बच्चों का पासपोर्ट जारी करने के संदर्भ में है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए में कि दत्तक बच्चों को पासपोर्ट जारी करने से पहले दत्तक ग्रहण के विवरण को सत्यापित कर लिया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि कारा से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (हेग दत्तक ग्रहण कन्वेंशन का अनुच्छेद 23) या कानूनी दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र (गैर हेग–अंतर देशीय दत्तक ग्रहण हेतु) को भी तत्काल प्रभाव से दत्तक बच्चे के पासपोर्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

3. आगे से, सभी अभिकरण पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले कारा से अनुपालन प्रमाणपत्र वैध दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दत्तक ग्रहण आदेश केयरिंग्स पर अपलोड करें/कारा को अग्रेषित करें।

4. उपर्युक्त बिंदु इस पत्र के जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह.
दीपक कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

प्रति–

1. राज्य सरकार और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण(सारा)–सूचनार्थ
2. सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण–सूचनार्थ
3. सीडब्ल्यू–II अनुभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–सूचनार्थ

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

फाइल नं. कारा.आईसीए012 / 3 / 2017

दिनांक 16 / 02 / 2018

परिपत्र

सेवा में,

सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)

यह पत्र भारत से बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए केयरिंग्स पर पंजीकृत भावी दत्तक माता–पिता की मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में कारा के दिनांक 27 / 11 / 2017 और 20 / 12 / 2017 के समसंख्यक परिपत्रों के क्रम में है। यह पाया गया है कि भावी दत्तक माता–पिता का मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है और इस कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में और दत्तक ग्रहण मामले की आगे की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि कारा उन सभी मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा जहां केवल मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन रिपोर्ट अपेक्षित है और अन्य सभी दस्तावेज पूरे है। इसमें यह शर्त होगी कि दत्तक ग्रहण आवेदन तभी दाखिल किया जाएगा जब मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन रिपोर्ट प्राप्त हो जाएं और उसमें यह संस्तुत किया गया हो कि भावी दत्तक माता बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए उपयुक्त है।

2. कृपया यह नोट करें कि सशर्त अनापत्ति पत्र जारी करने का प्रावधान केवल 31 मार्च, 2018 तक लागू रहेगा।

3. इसके अतिरिक्त, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि एएफएए को सभी पंजीकृत और विचाराधीन मामलों में 31 मार्च, 2018 से पहले मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा न करने पर कारा उनके आवेदनों को रद्द करने पर विचार कर सकता है।

ह.
(सी.सरस्वती)
उप प्रबंधक

प्रति–

1. सभी केंद्रीय प्राधिकरण–सूचनार्थ
2. भारतीय राजनयिक मिशन और जहां प्रयोज्य हो, सरकारी विभाग–सूचनार्थ
3. सीडब्ल्यू अनुभाग–।।, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–सूचनार्थ

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

फाइल नं. कारा.आईसीए012 / 3 / 2017 दिनांक 20 / 12 / 2017

परिपत्र

विषय– भारत से बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए केयरिंग्स पर पंजीकरण करने के इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता का मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन में भाामिल करने के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट , (एचएसआर) में संशोधनः स्पष्टीकरण के संबंध में

सेवा में,
सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)

इस कार्यालय के दिनांक 27 / 11 / 2017 के समसंख्यक कार्यालय परिपत्र के क्रम में, आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि उन सभी मामलों में मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन आवश्यक होगा जिसमें भावी दत्तक माता–पिता को एक रेफरल प्राप्त होना है। पंजीकृत मामलों में, यदि संवीक्षा अभी तक लंबित है तो एएफएए स्वयं ही गृह अध्ययन रिपोर्ट को अद्यतन कर सकते है। ऐसे मामलों में, जिसमें भावी दत्तक माता–पिता का पंजीकरण अनुमोदित हो गया है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट कारा को अग्रेषित की जाएगी और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कारा द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

2. गृह अध्ययन रिपोर्ट में लाइसेंस प्राप्त / प्रशिक्षित व्यवसायी द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन पर एक भाग जिसमें अंतिम संस्तुति प्रष्ठांकित हो, शामिल होना चाहिए। विस्तृत रिपोर्ट को गृह अध्ययन रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है। मनौवैज्ञानिक विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक द्वारा लिया गया 30–45 मिनट का विस्तृत साक्षात्कार शामिल होगा। साक्षात्कार दत्तक ग्रहण हेतु भावी दत्तक माता–पिता की अभिप्रेरणा, भावी दत्तक माता–पिता का स्वभाव, तनाव सहन करने की क्षमता, निराशा सहन करने की क्षमता, भावनात्मक स्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित होना चाहिए।

3. मनोचिकित्सक भावी दत्तक माता–पिता के लिए कोई उप–आयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण (यदि आवश्यक हो) शामिल करें। परीक्षण का चयन करते समय भावी दत्तक माता–पिता का लिंग, आयु एंव संस्कृति का ध्यान रखा जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे व्यक्तित्व मूल्यांकन सूची (पीएआई) और अन्य परीक्षणों यानी एमसीएमआई और एमएमपीआई 2 का (आवश्यकतानुसार) उपयोग किया जा सकता है।

4. ''गैर परिवारिक हितधारकों'' के लिए भी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। हम सभी परिवार की परिभाषा जानते हैं, जिसमें पति–पत्नी, माता–पिता, बच्चे, भाई बहन के साथ–साथ भावी दत्तक माता–पिता से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति जो साथ में रहता हो, शामिल हैं। गैर–परिवारिक हितधारक शब्द में विस्तृत परिवार के सदस्य, मित्र, पेशेवर पड़ोसी, घर की देखभाल करने वाले और कोई अन्य करीबी परिचित व्यक्ति शामिल होंगे। ऐसे पारस्परिक संबंध भावी दत्तक माता–पिता के मनोवैज्ञानिक मूल्याकंन का भाग हो सकते है।

ह.
दीपक कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

प्रति–

1. सभी केंद्रीय प्राधिकरण–सूचनार्थ
2. भारतीय राजनयिक मिशन और जहां प्रयोज्य हो, सरकारी विभाग–सूचनार्थ
3. सीडब्ल्यू अनुभाग–II, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–सूचनार्थ

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

फाइल नं. कारा.आईसीए012 / 3 / 2017

दिनांक 27 / 11 / 2017

परिपत्र

विशय– भारत से बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए केयरिंग्स पर पंजीकरण हेतु इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता के मनोवैज्ञानिक विवरण में भामिल करने के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) प्रपत्र में संशोधन

सेवा में,

सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)

प्रिय एएफएए,

जैसा कि आपको विदित है, भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए पंजीकरण हेतु इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता की पात्रता का निर्धारण प्राप्ति देश के एएफएए / केंद्रीय प्राधिकरणों(सीए) / सरकारी विभागों / भारतीय राजनयिक मिशन (आईएफडी) द्वारा सामान्य निवास स्थान पर किए गए गृह अध्ययन रिपोर्ट के जरिए किया जाता है।

2. यह तथ्य है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं समेत परिवार की गतिशीलता भारत से विशिष्ट श्रेणी के बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता–पिता की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु गृह अध्ययन रिपोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है।

3. हम, एक प्रेषक देश के रूप में, उपर्युक्त पहलू को लेकर चिंतित हैं और यह अनुरोध करते हैं कि दत्तक ग्रहण में रखे गए बच्चे का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए भावी दत्तक माता–पिता के लिए तैयार की गई सभी गृह अध्ययन रिपोर्ट में भावी दत्तक माता–पिता की बेहतर उपयुक्तता के लिए मनोवैज्ञानिक विवरण संबंधी मूल्याकंन गैर–परिवारिक हितधारकों से संबंधित विवरण और इन पहलुओं से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक फीडबैक को शामिल किया जाना चाहिए।

ह.
दीपक कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

प्रति–

1. सभी केंद्रीय प्राधिकरण–सूचनार्थ
2. भारतीय राजनयिक मिशन और जहां प्रयोज्य हो, सरकारी विभाग–सूचनार्थ
3. सीडब्ल्यू अनुभाग–।।, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–सूचनार्थ

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

फाइल नं. कारा/सीएआर/2017

दिनांक 04/12/2017

परिपत्र

विषय– विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों की मान्यता के नवीकरण के संबंध में

संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(5) के अनुसार, ''यदि किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा पंजीकरण के आवेदन का निपटान छः माह के भीतर नहीं किया जाता तो इसे उनके उच्चतर नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनकी ओर से कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा।

2. एसएए की मान्यता का नवीकरण दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 24 (3) के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार को आवेदन के मूल्यांकन के लिए अधिक समय चाहिए तो आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर कम से कम अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र एसएए को जारी किया जाना चाहिए (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के विनियम 41(3) और दत्तक ग्रहण विनियम और दत्तक ग्रहण विनियम 24(4) के संदर्भ में)

3. इसके अतिरिक्त एसएए को स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता के लंबित नवीकरण में दत्तक ग्रहण मामलों में कार्यवाही करने की अनुमति दी जाएगी (दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 24(5) के संदर्भ में)

ह.
(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रति–

1. सभी राज्य सरकारों के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव
2. सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) कि निदेशक एवं सदस्य सचिव

प्रतिलिपि–

सीडब्ल्यूसी अनुभाग–।।, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

विदेष मामले मंत्रालय
सीपीवी प्रभाग

सेवा में	:	सभी पासपोर्ट अधिकारी
आरपीटी	:	सचिव (सीपीवी एंव ओआईए); ईएएम के निजी सचिव, राज्य मंत्री के अपर सचिव (वीकेएस)
	:	श्री अजय टिरके, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
	:	सभी विदेशी मिशन एवं पद (पोस्ट)
सं.	:	VI/401/1/17/2015.खंड
दिनांक	:	30 नवंबर, 2017

संयुक्त सचिव (पीएसपी)एंव सीपीओ से पासपोर्ट अधिकारी

संयुक्त सचिव एंव सीपीओ से पासपोर्ट अधिकारी कृपया अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण मामलों के लिए पासपोर्ट जारी करने के संबंध में समय–समय पर मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों एंव पासपोर्ट मैनुअल के अध्याय 10 में वर्णित अनुदेशों का संदर्भ ले।

2. जहां तक दत्तक बच्चे को पासपोर्ट जारी करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों का संबंध है, यह ध्यान दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को दो स्तरों पर बच्चे का माता–पिता के साथ मिलान किए जाने के बाद कारा एक ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' (एनओसी) देता है। केवल एनओसीके आधार पर ही अदालत दत्तक ग्रहण के मामले को अनुमोदित कर सकती है। एक बार अदालत दत्तक ग्रहण को अनुमोदित कर देती है, तो कारा सभी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ''पुष्टिकरण प्रमाण पत्र'' जारी करता है। दत्तक बच्चे के माता–पिता कारा के इस ''पुष्टिकरण प्रमाण पत्र '' के प्राप्त होने के बाद ही पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हे। पुष्टिकरण प्रमाण पत्र में दत्तक ग्रहण की पुष्टि की गई होगी और दत्तक बच्चे को पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी दिया गया होगा।

3. ईएएम ने अनुमोदित किया है कि दत्तक बच्चों को पासपोर्ट तब जारी किया जाना चाहिए जब पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय उपर्युक्त दस्तावेज और कारा द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया जाए तथा पासपोर्ट अधिनियम 1967, उसके तहत निर्मित नियम एवं पासपोर्ट मैनुअल 2016 में निर्धारित अन्य सामान्य जांच को पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाए।

भवदीय,
(अरूण के चैटर्जी)

Passport Seva
Service Excellence

Patiala House Annexe
Tilak Marg, New Delhi-110001
Tel: 23387013/23384536
Fax: 23071370
Email: jscpo@mea.gov.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

सं–57–1(2017)–कारा/9640 दिनांक 28/12/2017

परिपत्र

विषय– गृह अध्ययन रिपोर्ट निष्पादित करने के लिए भाहर की सीमा से बाहर दौरा करने वाले सामाजिक_ कार्यकर्ताओं को टीए/डीए का भुगतान

दिनांक 23/3/2017 एवं 05/04/2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. आईपी03/20/2016/कारा के क्रम में, यह स्पष्ट किया जाता हे कि बाल दत्तक ग्रहण, 2015 शासित दिशानिर्देश की अनुसूची 13 के तहत निर्धारित दत्तक ग्रहण शुल्क में भारत में भावी दत्तक माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए 6,000/–रूपये (छः हजार स्पये मात्र) तथा दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती दौरों एवं परामर्श के लिए प्रति दौरा/रिपोर्ट (यात्रा खर्च सहित) 2,000/– (दो हजार रूपये) शामिल है। वसूल किए जा रहे शुल्क में यात्रा खर्च शामिल होगा और सामाजिक कार्यकताओं को गृह अध्ययन रिपोर्ट/दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती रिपोर्ट के लिए दिए गए शुल्क में से सरकारी नियमानुसार टीए/डीए दिया जा सकता है।

2. इसके अतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता–पिता से कोई अन्य शुल्क नहीं लेंगे और शुल्क नकद में दिया/लिया नहीं जाएगा।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह.
(एस.के.गुप्ता)
लेखा अधिकारी

प्रति–
सभी सारा

सभी एसएए

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

No. 1/7/2011- VS(CRS)/72

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय/

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, नागरिक पंजीयन योजना, 2-ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली – 110011

V.S. Division, Civil Registration System, 2-A, Mansingh Road, New Delhi – 110011

ईमेल : drg-crs.rgi@nic.in manojissg.rgi@nic.in

दिनांक : 05.03.2018

सेवा में,

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
पश्चिम ब्लॉक / खंड–8 विंग–4, प्रथम तल,
आर.के.पुरम
नई दिल्ली – 110066

विशय : दत्तक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं के संबंध में।

महोदय,

कृप्या दिनांक 15.02.2018 के अपने कार्यालय पत्र सं. 59–8 / 2017 कारा (टीयन) का संदर्भ ले जिसमें जन्म प्रमाण जारी करने वाले प्राधिकरण को एक परिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गय है, दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्पष्ट किया गया है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय ने दिनांक 31.01.2018 के परिपत्र सं. 1 / 7 / 2011 वीएस(सीआरएस) द्वारा पहले ही संस्थानों / दत्तक ग्रहण अभिकरणों के जरिए दत्तक बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रतिष्टि करने / बदलने पर एक स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका है। आपके तत्काल संदर्भ हेतु दिनांक 31.01.2018 के उपर्युक्त परिपत्र की प्रति संलग्न की गई है। कार्यालय की वेबसाइट htt.//crsorgi.gov.in/circulars.html पर भी उक्त परिपत्र को देखा जा सकता है।

भवदीय

(मनोज कुमार)
उप महापंजीयक

संलग्न : उपर्युक्त के अनुसार

JD
DD (CS)
AD (VS)

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/
"Ensure Registration of Every Birth and Death"

Speed Post

No. 1/7/2011- VS -CRS
भारत सरकार/
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय/
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, नागरिक पंजीयन योजना, 2-ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली – 110011
V.S. Division, Civil Registration System, 2-A, Mansingh Road, New Delhi – 110011

इमेल : drg-crs.rgi@nic.in manojissg.rgi@nic.in

दिनांक : 31.01.2018

परिपत्र

सेवा में,

जन्म एवं मृत्यु के सभी मुख्य पंजीयक

विशय : संस्थानों–दत्तक ग्रहण अभिकरणों के जरिए दत्तक बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने / बदलने पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया दिनांक 12 मार्च, 2012 और 25 अगस्त, 2014 के सम संख्यक के इस कार्यालय पत्र का संदर्भ ले जिसके द्वारा दत्तक बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने/बदलने पर पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे। यह अनुदेश केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के 2011 के दिशार्निदेश को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे जिसके अधीन दत्तक बच्चों का जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाणत्र पत्र जारी करने के लिए दत्तक ग्रहण विलेख और दत्तक ग्रहण आदेश (दोनों) का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य किया गया था।

2. आपको अवगत होगा कि उपर्युक्त अनेदेशों के माध्यम से दत्तक ग्रहण आदेश और दत्तक ग्रहण विलेख दोनों के माध्यम ग्रहण अभिकरणों (संस्थान) या गैर–संस्थागत दत्तक ग्रहण से लिए गए दत्तक बच्चों का जन्म पंजीकरण हेतु अनिवार्य किया गया था। बाद में वर्ष 2015 के दौरान, 15 मई 2015 को इस कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसके जरिए गैर–संस्थागत दत्तक ग्रहण के मामले में कोर्ट के दत्तक ग्रहण आदेश के प्रस्तुतीकरण की प्रणाली को '' हिंदू दत्तक तथा भरण – पोषण अधिनियम 1956'' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया है और ऐसे पंजीरकण के लिए पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख को अनिवार्य कर दिया गया है।

3. अब संस्थानों अर्थात् दत्तक ग्रहण अभिकरणों के माध्यम से किए गए दत्तक ग्रहण के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देश को परिशोधित किया है और दिनांक 04.01.2017 की राजपत्र अधिसूचना में उक्त को दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें संस्थागत दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहहण विलेख के प्रस्तुतीकरण के खंड/नियम को हटा दिया है और नई अधिसूचना की धारा 36 में यह उल्लिखित है कि दत्तक ग्रहण अभिरकणों के जरिए दत्तक बच्चे के जन्म पंजीकरण के लिए कोर्ट के दत्तक ग्रहण आदेश का प्रस्तुतीकरण पर्याप्त है।

4. सामान्य जनता द्वारा संस्थानों (दत्तक ग्रहण अभिकरणों) के जरिए दत्तक ग्रहण के मामले में दत्तक ग्रहण विलेख प्रस्तुत करने में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए मामले की पुनरीक्षा की गई और तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि दत्तक बच्चे के जन्म पंजीकरण के लिए दत्तक विलेख प्रस्तुत करने के लिए जनता से आग्रह न करें और कोर्ट के दत्तक ग्रहण आदेश के आधार पर जन्म के वर्णन पंजीकृत करें या आवश्यक सुधार/परिवर्तन करें तथा दत्तक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करें।

5. उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, आपसे अनुरोध है कि राज्य के संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों को उपर्युक्त विषयवस्तु निदेर्शित करें और प्राथमिकता से दत्तक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र दत्तक माता–पिता का नाम माता–पिता के रूप में लिखकर जारी करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में इस कार्यालय को अवगत कराया जा सकता है।

भवदीय
ह.
(मनोज कुमार)
उप महापंजीयक

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

फाइल सं. कारा/सीआईआर/2017 दिनांक 13/02/2018

परिपत्र

सिबलिंग के दत्तक ग्रहण एंव यदि इसमें उनका सर्वोत्तम हित हो तो उनका अलगाव

सेवा में,

सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के प्रावधानों के आधार पर वर्तमान में भाई–बहन को दत्तक ग्रहण के लिए एक साथ रखा जाता है।

2. भावी दत्तक माता–पिता के लिए एक प्रावधान है कि वे दत्तक ग्रहण के लिए सिबलिंग को चुन सकते है। हालांकि यह पाया गया है कि वे केवल दो बच्चों को `ने के लिए ही तैयार होते है और वह भी तब ही संभव है जब वह वरीयता के आयु–वर्ग में हो। यह पाया गया है कि सिबलिंग का दत्तक ग्रहण के लिए रखना मुश्किल हो जाता है क्योकि विशेषकर जब वे तीन या उससे ज्यादा बच्चों की जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं होते है। तीन या उससे ज्यादा संख्या के सिबलिंग को 'तत्काल प्लेसमेंट' श्रेणी में रखा गया है।

3. पूर्व के कुछ मामलों में, जहां सिबलिंग मे से एक दत्तक ग्रहण मे जाने के लिए तैयार होना था जबकि दूसरा तैयार नहीं होता था, कारा की रिलेक्सेशन समिति से अनुमोदन मिलने के बाद बच्चे के सर्वोत्तम हित में उन्हें दत्तक ग्रहण में रखा जाता है। हालांकि, यह भावी दत्तक माता–पिता और एसएए का अनुरोध प्राप्त होने के बाद किया गया था। उपर्युक्त स्थिति बहुत से मामले में संभव नहीं होती और भाई–बहन को बाल देखभाल संस्थानों/दत्तक ग्रहण अभिकरणों में ही रहना होता है।

4. बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए दत्तक ग्रहण में रखे गए भाई–बहनों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, कारा की संचालन समिति ने यह निर्णय लिया है कि भाई–बहन को अलग करने का निर्णय मामला दर मामला आधार पर लिया जाए, किशोर न्याय (बाल देखभाल व सरंक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 3 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

5. बड़े बच्चे की सहमति के साथ ही अभिकरण/बाल कल्याण समिति की राय भी अलगाव पर विचार करने वाले प्राधिकरण को भेजी जा सकती है।

6. भाई–बहन को अलग करने में महत्वपूर्ण कुछ कारण (पूर्ण रूप से नहीं है) इस प्रकार है–

क) यदि भाई–बहन की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर हो।

ख) यदि भाई–बहन में से एक विशेष जरूरतों वाला बच्चा हो।

ग) यदि भाई–बहन में से एक दत्तक ग्रहण में जाने को तैयार न हो।

ह.

(दीपक कुमार)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

प्रति–

1. सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)–बाल कल्याण अभिकरण और जिला बाल संरक्षण एकक हेतु अनुपालन एवं संचालन सुनिश्चित करने हेतु।
2. सीडब्ल्यू–।।, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय–सूचनार्थ हेतु।

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

सं.1–11–2017–18 / जेडी / परिपत्र दिनांक 07 / 03 / 2018

परिपत्र

विषय– चिकित्सा जांच रिपोर्ट में बच्चों के विकासात्मक विलंब की पहचान एंव रिपोर्टिंग

1. कारा को एसएए द्वारा तैयार की गई चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर भावी दत्तक माता–पिता से अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति एंव उनके विकासात्मक विवरण का पूर्ण ब्योरा प्रदर्शित नहीं किया गया है जो बच्चे का श्रेणीकरण निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है।

2. भावी दत्तक माता–पिता सूचित किए गए निर्णय लेने की स्थिति में है, यदि चिकित्सा जांच रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति सही से रिकॉर्ड की गई हो।

3. एसएए यह सुनिश्चित करेगा कि दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची iv के अनुसार सभी चिकित्सा जांच करने के बाद दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसमची iii के अनुसार चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार की गई हो।

4. इसके अतिरिक्त, इस परिपत्र के साथ विकासात्मक चार्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट का भाग घ भरने के दौरान उक्त का (विकासात्मक चार्ट) संदर्भ लिया जा सकता है। विकास परिवार के बच्चों के लिए है और संस्थान के बच्चों के मामले में अनुमानित विलंब पर अवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. चिकित्सकों और एसएए को विनियमों का पालन और सख्ती से करना चाहिए अैर दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची xviii के अनुसार सामान्य / विशेष जरूरत वाले बच्चे के साथ में बच्चों का श्रेणीकरण किया जाना चाहिए।

6. यदि एसएए द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट में दी गई जानकारी / सूचना में कोई अंतर पाया जाता है तो दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 के विनियम 25(2)(ग एवं घ) के तहत वह प्रयोज्य कड़ी कार्रवाई हेतु जिम्मेदार होगा।

ह.
दीपक कुमार
सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रति–

(1) सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण प्राधिकरण
(2) सभी राज्य विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
(3) सीडब्ल्यूसी–।। अनुभाग, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय–सूचनार्थ हेतु।

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Age	Language Milestone
4 Weeks	Quietens when bell is rung
8 Weeks	Smiles and vocalizes when talked to
12 Weeks	Squeals with pleasure, aah-naah
16 Weeks	Aah-goo
20 Weeks	Razzing (blowing between partly closed lips)
24 Weeks	**Monosyllabic babble** (ba-ba, da-da)
32 Weeks	**Bisyllable** (ba-ba, da-da)
1 Year	**2-3 Words with meaning**
15 Months	Jargoning
18 Months	**10 words with meaning**
2 Years	50 words vocabulary
3 Years	250 words vocabulary, questioning, uses pronouns, nursery rhymes
4 Years	Speaks in **sentences** of 5-6 words; tells long stories
5 Years	Speaks sentences of more than 5 words; Uses future tense; Says **name and address**

Age	**Hearing Milestones**
26 Weeks IU	**Startle reflex**
3 Months	Turns the head to the side from where sound is coming
3-4 Months	**Turns the head as well as eyes to the direction of sound**
5-6 Months	Turns head sidewards and below
6 Months	Turns head sidewards and then upward; starts imitating sounds
6-8 Months	**Starts responding to name**
8-10 Months	**Turns head diagonally and directly towards the sound source**
1 Year	**Ability to localize sound as good as adult**

Age	Red Flags for Gross Motor
9 Months	No sitting without support
12 Months	No Standing with Assistance
17 Months	Unable to stand alone
18 Months	Unable to walk alone
2 Years	Unable to walk upstairs with help
4 Years	Unable to jump

Age	Red Flags for Fine Motor
5 Months	Unable to hold rattle
12 Months	No pincer grasp
20 Months	Unable to remove socks/ gloves
24 Months	Unable to scribble
3 Years	Cannot work simple toys
5 Years	Does not draw picture

Age	Red Flags for Hearing
12 Months	No Babbling/ Vocal Imitation
18 Months	No use of single words
24 Months	Single word vocabulary ≤10 words
30 Months	<100 words, No 2-word combination
36 Months	<200 words, No telegraphic sentence
42 Months	<600 words, No simple sentences

Age	Red Flags for Socioadaptive
2 Months	No social smile
12 Months	No pointing
3 Years	No pretend play
4 Years	Does not respond to peers
5 Years	Unusually withdrawn and not active

DEVELOPMENTAL MILESTONES

Child Neurology Division

Department of Pediatrics, AIIMS

New Delhi

For more details: http://pedneuroaiims.org

Professor Sheffali Gulati,
Child Neurology Division.
Department of Pediatrics, AIIMS, New Delhi
011-26594679, sheffalig@yahoo.com
pedneuroaiims@yahoo.com

Age	Gross Motor Milestone
4 weeks	**Complete head lag** on pull to sit, pelvis high with knees under abdomen
8 weeks	On pull to sit less head lag, on ventral suspension can maintain head in same plane as rest of the body, in prone position has head in midline
12 weeks	**Bears weight on forearm,** face couch angle 45^0 - 90^0, **Only slight head lag on pull to sit**
20 Weeks	**No Head Lag**
6 Months	Keeps chest and upper part of abdomen off couch**, Rolls from prone to supine, Sits supported (with back support)**
7 Months	**Sits on couch with hand support,** Weights on one hand**, Rolls from supine to prone**
9 Months	**Crawls, stand himself on holding furniture**
10 Months	**Creeps** on hands and knees with abdomen off
11 Months	**Cruises** (Walks holding on to furniture); Pivots (Twisting around to pick an object)
12 Months	**Walks** with one hand held
15 Months	**Walks unsupported**
18 Months	Runs stiffly
24 Months	**Goes up and downstairs two feet per step;** runs properly
2 1/2 Years	**Jumps with both feet**, walks on tip toe
3 Years	**Rides a tricycle**, goes up stairs- one foot per step, goes downstairs- two feet per step
4 Years	Goes downstairs one foot per step; Skips on one foot
5 Years	Skips on both feet

Age	Fine Motor Milestones
1 Month	Primitive grasp reflex
3 Months	No grasp reflex, **Retains rattle if placed in hand**
4 Months	Hand regard, **Bidextrous approach**
5 Months	**Palmer grasp**
6 Months	**Unidextrous approach, Transfers of objects**
9 Months	**Pincer grasp**
12 Months	**Casting**
15 Months	**Picks up & drinks from cup,** Scribbles spontaneously, Tower of 2 cubes
18 Months	**Manages spoon well**, Tower of 3-4 cubes, Turns 2-3 pages
2 Years	**Takes off clothes without buttons**, Imitates horizontal line and circle, Tower of 5-6 cubes, **Turns page singly**
2 1/2 Years	Imitate vertical line, Tower of 8 cubes
3 Years	Puts on shoes without lace, **Unbuttons**, Imitates cross, Copies circle, Tower of 9-10 cubes, Imitates bridge
4 Years	Copies cross, draw a man test 4 parts, incomplete man 3 parts, buttons
4 1/2 Years	Copies square, copies gate, draw a man test 6 parts, Incomplete man adds six parts

Age	Socioadaptive Milestones
2 Months	**Social Smile**
3 Months	Recognises mother
5 Months	Smiles at mirror image
6 Months	Stretches arms out to be held; **Stranger anxiety**
7 Months	Responds to name
9 Months	Waves "bye-bye"; Pulls clothes of another to attract attention; repeats performance laughed at; responds to words e.g., "where is daddy?"
12 Months	Plays peek-boo while covering face
15 Months	Indicates wet pants
18 Months	**Domestic mimicry**; points to 2-3 body parts, Is **dry by the day**
2 Years	**Parallel play** (Watches others play and plays near them, but not with them)
2 1/2 Years	Knows full **name and gender**
3 Years	Shares toys, joins in play
4 Years	Attends to own **toilet needs**
5 Years	Distinguishes morning from noon, compares 2 weights

Age	Vision Milestone
29 weeks IU	Pupillary reflex
At Birth	**Horizontal tracking of mothers face till 180 degrees** ; follows dandling ring upto 45^0
4-6 Weeks	**Vertical tracking** ; follows dangling ring to 90^0
12 Weeks	Follows dangling ring upto 180^0; looks at the objects in the midline
16 Weeks	**Immediate regard of the dangling object**
4-6 Months	**Well established binocular vision**
6 Months	Adjusts position to see an object
1 Year	Begins to appreciate forms and colours
2 1/2 Years	**Fully mature visual acuity**

अध्याय : 6

2017–18 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े

वर्ष 2017–18 हेतु
(31 मार्च, 2018 को समाप्त)
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
नई दिल्ली
के लेखापरीक्षित खातों के संबंध में
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट

By: SPEED POST

कार्यालय अपर उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (केंद्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

OFFICE OF THE ADDITIONAL DEPUTY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL (CENTRAL EXPENDITURE) INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI - 110002

दूरभाष/Phone: 23454329 फैक्स नं./Fax No. 23702271

संख्या/No. AMG-III/4-80/SAR/CARA/2018-19/2003 दिनांक/Dated: 28.11.2018

सेवा में

सचिव, भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

Diary No. 11381
30/11/18

विषय: वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय / महोदया

मैं , केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिये संलग्न करता हूँ|

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए| कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए|

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से संबंधित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है| पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है| यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा|"

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि

हस्ता./-
उप-निदेशक (ए.एम.जी.-III)

30/11/18

29 NOV 2018

By: SPEED POST

संख्या/No. AMG-III/4-80/SAR/CARA/2018-19/2004 **दिनांक/Dated** 28.11.2018

प्रतिलिपि : कर्नल दीपक कुमार, सदस्य सचिव एवं सी. ई. ओ. , केन्द्रीय दतक ग्रहण साधन प्राधिकरण, वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम दिल्ली-110066. को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेजो की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

अनुलग्नक : यथोपरि।

28.11.18

उप-निदेशक (ए.एम.जी.-III)

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरिक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 73(2) के तहत केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (कारा) के 31 मार्च, 2018 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एंव व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2 इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धितयों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई है कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से दी जाती है।

3 हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में रूढ़ लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परिक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनायें गए लेखाकंन सिद्धांतो और किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्याकंन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4 अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते है कि :

1. हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

2. इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, आय और व्यय के लेखों की प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3. हमारे विचार से, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकॉडों का रख–रखाव उपयुक्त रूप में किया जाता है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

4. हमें यह भी रिपोर्ट करते है।

क) सामान्य–

क1 दिनांक 02 मार्च 2015 की वित्तीय मंत्रालय के निवेश की अधिसूचना के संबंध में, गैर–भविष्य निधि, सेवानिर्वतन निधि और ग्रैच्युइटी निधि के निवेश के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार अधिकतम 45 प्रतिशत राशि बैकों के एफडीआर में एक वर्ष से कम अवधि हेतु निवेश नहीं की जा सकती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने ग्रैच्युइटी और लीव वेतन से संबंधित 1.66 करोड़ रूपये के एकत्रित धन का निवेश सिंडिकेट और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सावधि जमा किया है जो कि वित मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विसंगत है।

क2 यथा दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 11.48 करोड़ रूपये की राशि अग्रिम बकाया थी। संबंधित अभिकरणों से बिलों के बिलों के समायोजन की अनुपस्थिति के अतिरिक्त, अधिकतम कार्य जिनके लिये अग्रिम राशि प्रदान की गई थी वह पूरे हो चुके है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने न तो व्यय को बही किया है और न ही उन व्यय की पूंजीकृत किया है जहां इन अग्रिमों के माध्यम से पूंजी बनाई गई थी। यह 2008–09 से लम्बित है। इन लम्बी शेष अग्रिम राशि को समायोजन की आवश्यकता है। यह पिछले वर्षो के खातों के प्रमाणीकरण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा भी इंगित किया गया था।

क3 सरकारी अनुदान सहायता से दी गई अग्रिम राशि, अनुचित अनुदान सहायता और विविध रसीदों पर अर्जित ब्याज उपयोग प्रमाण पत्र में नहीं दिखाया गया था जो कि जीएफआर 2017 के नियम 240(8) के उल्लंघन में था।

क4 वेतन को आधारभूत आधार के बजाय नकद आधार पर रखा गया था।

क5 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर निश्चित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान करता है। जबकि, वित्त मंत्रालय द्वारा खातों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाना है।

ख) सहायता अनुदान

ख.1 वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान सहायत सहित 09.54 करोड़ की उपलब्ध निधि में से, 8.77 करोड़ और पिछले वर्ष के 0.77 करोड़ रूपये में से, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने 0.31 करोड़ रूपये के अव्ययित शेष को छोड़कर 09.23 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया।

ग) प्रबंधन पत्र– जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है, वे उपचारी/शोधक कार्यवाही के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई है।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणीओं के अध्यधीन हम यह जानकारी देते है कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा प्राप्तियों और भुगतान लेखे पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप है।

vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते है जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप है।

क) जहां तक इसका संबंध 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन पत्र से है, और

ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से
लेखापरीक्षा महानिदेशक
केंद्रीय व्यय

स्थान – नई दिल्ली

दिनांक 28.11.2018

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्पता

सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्पता

कारा में आतंरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है–

- सांविधिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2008–2009 से 2016–17 की अवधि के 9 लेखापरीक्षा पैरा बकाया है।
- परिसंपत्तियों, पुस्तकालय को किताबों और वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं किया गया।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.10..2016 तक किया गया।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

- पुस्तकों का सत्यापन 22.11.2016 तक किया गया।
- लेखन समग्री तथा उपभोग्य सामग्री का वास्तविक सत्यापन 28.03.2018 तक किया गया।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देनदारियों जैसे की आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, सहभागिता भविष्य निधि और कर्मचारी राज्ययी बीमा के संबंध में 31.03.2018 को 6 माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

CARA

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

यथा दिनांक 31/03/2018 तक
का वित्तीय विवरण

वेस्ट ब्लॉक–8, विंग–2, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाष–91–011–26180196, टोल फ्री–1800–11–1311, टेली फैक्स–91–011–26180198

dnh; nRrd xg.k llk/ku ikf/kdj.k

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

31 मार्च, 2018 तक का तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

fooj.k	vuqlph	2017-18	2016-17
कॉरपस/ पूंजीगत निधि एवं देयताएं			
पूंजीगत निधि	1	121,610,331.00	97,611,569.00
आरक्षित एवं आधिक्य	2	-	-
चिह्नितध्अक्षय निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5	-	-
विलंबित ऋण देयताएं	6	-	-
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	7	21,603,627.00	26,587,533.00
व्यय पर आय का आधिक्य		-	-
dqy		**143,213,958.00**	**124,199,102.00**
ifjlifRr;k			
अचल परिसंपत्तियां	8	6,163,007.00	7,661,047.00
चिह्नित अक्षय निधि से निवेश	9	-	-
निवेश – अन्य	10	16,590,758.00	7,645,687.00
मौजूदा परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	11	120,460,193.00	108,892,368.00
विविध व्यय (बट्टे खाते में नहीं डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक)			-
dqy		**143,213,958.00**	**124,199,102.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

foRrh; fooj.k
dsnh; nRrd xzg.k lalk/ku izkf/kdj.k
पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

fooj.k	vuqlwph	2017-18	2016-17
vk;			
बिक्री/सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सहायिकी	13	91,841,140.00	69,410,867.00
शुल्क/अभिदान	14	50,000.00	-
निवेश से आय (निवेश से आय चिह्नित/अक्षय निधि से)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,668,560.00	1,487,176.00
अन्य आय	18	147,852.00	44,442.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और चालू कार्य	19	-	-
dqy d		**93,707,552.00**	**70,942,485.00**
O;;			
स्थापना व्यय	20	26,137,589.00	19,323,284.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	42,073,161.00	35,732,685.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष कें अंत मे निवल योग – अनुसूची–8 के अनुरूप)		1,973,061.00	1,803,369.00
dqy [k		**70,183,811.00**	**56,859,338.00**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)		**23,523,741.00**	**14,083,147.00**
विशेष रिजर्व में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)		-	-
सामान्य रिजर्व सेध्में अंतरण		-	-
पूंजीगत निधि में डाला गया आधिक्यध(घाटा) के कारण शेष		**23,523,741.00**	**14,083,147.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	-	-

foRrh; fooj.k

dsUnzh; nRrd xzg.k lalk/ku izkf/kdj.k

if'peh [k.M&8 fo+x 2 nforh; ry] vkj ds iqje] ubZ fnYyh &110006

01 vçSy] 2017 ls 31 ekpZ] 2018 dh vof/k@lekIr o"kZ ds fy, çkfIr;ka ,oa Hkqxrku

çkfIr;ka			Hkqxrku		
	2017-18	**2016-17**	fooj.k	**2017-18**	**2016-17**
(I) gkFk 'ks"k			¼A½ O;;		
(क) हाथ रोकड़	16,461	14,463	(क) स्थापना व्यय	26,658,550	15,930,751
(ख) बैंक में जमा राशि	-	-	(ख) प्रशासनिक व्यय	41,833,649	35,033,142
चालू खातों में (अव्ययित शेष)	-	-	(ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान	-	
जमा खातों में	-	-			
बचत खाता सिंडिकेट बैंक	243,200	1,985,397	**(II)** fofHkUu ifj;kstukvksa ds fy, fuf/k;ka	-	-
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	4,067,814	159,427	ds fy, fd;k x;k Hkqxrku ¼	-	-
आइंडीबीआइ बैंक	32,103	31,178	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान	-	-
			के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना		
(II) vfxze lek;kstu	31,406,749	80,211,862	का नाम साथ में दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
				-	-
(iii) çkIr vunku	-	-	**(III)**fd;k x;k fuos'k vkSj tek ¼	-	-
(क) भारत सरकार से :–	-	-	(क) चिह्नित/अक्षय निधि में से	-	-
राजस्व व्यय	87,700,315	70,731,294	(ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)	12,320,210	7,645,687
पूंजीगत व्यय	-	3,291,449			
(ख) राज्य सरकार से	-	-	**(IV)**LFkk;h ifjlEifRr;ka ij O;; vkSj	-	
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)	-	-	चालू कार्य में पूंजी	-	
अलग से दर्शाया गया है)	-	-	(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	475,021	3,291,449
			(ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय	-	
(IV) fuos'k ij fuEufyf[kr ls vk; ¼					
(क) चिह्नित/अक्षय निधि	-		**(V)** _.k vkSj vfxze ¼	-	
(ख) स्वयं की निधियां (अन्य स्रोत)	3,375,139	7,236,709	(क) भारत सरकार को	-	
	-	-	(ख) राज्य सरकार को	-	
(V) çkIr C;kt	-	-	(ग) अन्य को	43,308,900	98,932,790
(क) बैंक जमा राशि पर	-	-		-	-
(ख) ऋण अग्रिम आदि	-	-	**(VI)** foRrh; çHkkj ¼C;kt½ ¼	-	-
(ग) बचत खाता	924,290	1,487,176		-	-
(घ) निवेश और अन्य सें प्राप्त ब्याज	744,270	-		-	-
	-		**(VII)** vU; Hkqxrku ¼fofufnZ"V djsa½ ¼	-	-
(VI) vU; vk; ¼fofufnZ"V djsa½	-	-	प्रतिभूति जमा	45,000	
विविध : प्राप्तियां	77,972	44,092		-	
एफएससी	2,209	-	**(VIII)** vUr 'ks"k ¼	-	
अन्य आय	-	-	(क) हाथ रोकड़	12,016	16,461
आरटीआइ के लिए प्राप्ति	410	350	(ख) बैंक में जमा राशि	-	-
फीस और शुल्क	50,000		(क)चालू खातों में	-	
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट	-	-	(ख) जमा खातों में	-	
			(ग) बचत खातों में (यूबीआइ)	771,873	4,067,814
(VII)m/kkj yh xbZ jkf'k ¼	-		आईडीबीआई	32,746	32,103
			सिंडिकेट बैंक	3,272,967	243,200
(VIII)dksbZ vU; çkfIr;ka	-	-			
¼C;kjk nsa½	90,000	-			
(प्रतिभूति जमा)				-	
dqy	**128,730,932**	**165,193,397**	dqy	**128,730,932**	**165,193,397**

foRrh; fooj.k

dinh; nRrd xg.k lilk/ku ikf/kdj.k
if'peh [kM % 8 fox 2 nforh; ry] vkj d iije] ubl fnYyh & 110006

31 ekpl 2018 rd dh vk; ,o 0;; l lcf/kr vuqlfp;k

		(राशि रुपयो मे)
fooj.k	**2017-18**	**2016-17**
vuqlph 1 & iwthxr fuf/k %		
वषे के प्रारभ मे शेष	97,611,569.00	80,236,973.00
जोड़ें : कॉरपस/पूंजीगत निधि में अंशदान	4,75,021.00	3,291,449.00
जोड़ें : लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन		
जोड़ें/घटाएं : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष /(व्यय)	23,523,741.00	14,083,147.00
घटाएं : अथ शेष		
आय एवं व्यय लेखा		
घटाएं : रिजर्व एवं अधिशेष में अंतरित		
o"kZ dh lekfIRk ij 'k"k	**121,610,331.00**	**97,611,569.00**
vuqlph 2 & fjtoZ ,o vf/k'k"k %		
1. पूंजीगत रिजर्व :		
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतिया	-	-
	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :	-	-
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वष के दौरान जोड़ी गइ राशि	-	-
घटाए : वष के दौरान कटौतिया	-	-
	-	-
3. विशेष रिजर्व :	-	-
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
घटाएं : वष के दौरान कटौतिया	-	-
	-	-
4. सामान्य रिजर्व :	-	-
पिछले लेखे के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
dqy	-	-

foRrh; fooj.k

dsUnzh; nRrd xzg.k lalk/ku izkf/kdj.k

i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

31 ekpZ 2018 dks rqyu i= ls lacf/kr vuqlwph ;k

¼jkf'k :i;ks esa½

fooj.k	2017-18	2016-17
vuqlwph 7&orZeku nkf;Ro ,oa izko/kku		
d- orZeku nkf;Ro		
अव्ययित सहायता अनुदान	3,360,603	7,976,449
व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	1,077,152	2,421,871
अशोक टूर एण्ड ट्रैवल्स	-	146,378
ईपीएफ संगठन	218,000	128,000
प्रतिभूति जमा	5,691	9,893
टीडीएस संविदाकार	132,702	101,733
टाडीएस व्यावसायिकध्वेतन	-	7,800
टेरे देस होमेमेस (लाउसेने)		33,620
द बार्कर फाउंडैशन यूएसए		33,641
अग्रिम जमा राशि		45,000
सुश्री सरन्या,पीएसएस		2,364
सुश्री उषा मल्होत्रा		64,350
श्री विजय सिंह		39,414
देय टीए		28,407
dqy d	**4,794,148**	**11,038,920**
izko/kku		
1. कराधान के लिए		
2. उपदान	8,921,007	8,247,434
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित छुट्टी नकद भुगतान	7,888,472	7,301,179
5. व्यापार वारंटियां/दावे		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
dqy [k	**16,809,479**	**15,548,613**
dqy d$[k	**21,603,627**	**26,587,533**

foRrh; fooj.k
dmh; nRrd xg.k lalk/ku ikf/kdj.k
i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रत्येक वर्ष अब वापिस प्राप्त हुआ

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां 31.3.2018 तक

(राशि रूपयों मे)

विवरण	dqy lifRr;k				विवरण					[u]द्ध कुल संपत्तियां	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रत्येक वर्ष हेतु	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वत्र के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भमि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पटटे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.फर्नीचर, फिक्सचर्स	4,667,764	182,023	-	4,849,787	1,488,729	443,166	-	-	1,931,895	2,917,892	3,179,035
6. कार्यालय उपस्कर	2,370,540	265,448	-	2,635,988	851,392	479,016	-	-	1,330,408	1,305,580	1,519,148
7. कम्प्यूटर/ कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं	5,492,254	27,550	-	5,519,804	2,529,764	1,225,767	-	174,888	3,580,643	1,939,161	2,962,490
8. विद्युत संस्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय पुस्तकें	45,521	-	-	45,521	45,147	-	-	-	45,147	374	374
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**12,576,079**	**475,021**	**-**	**13,051,100**	**4,915,032**	**2,147,949**	**-**	**174,888**	**6,888,093**	**6,163,007**	**7,661,047**
ख. पूंजीगत चालू कार्य										**-**	
कुल जोड़	**12,576,079**	**475,021**	**-**	**13,051,100**	**4,915,032**	**2,147,949**	**-**	**174,888**	**6,888,093**	**6,163,007**	**7,661,047**

ध्यान दे :
पिछले वर्ष में, कंप्यूटर / पेरिफेरल पर मूल्यह्रास
अतिरिक्त 1,74888 रुपये चार्ज, अब संशोधित

foRrh; fooj.k

dnh; nRrd xg.k lalk/ku ikf/kdj.k

i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

31 ekpZ 2018 dks rqyu i= ls lEcf/kr vuqlfp;k¡

¼jkf'k :Ik;ks esa½

विवरण	2017-18	2016-17
अनुसूची 9 - अभिनिर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश :		
1.सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स	-	-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
कुल	**-**	**-**
अनुसूची 10 - निवेश - अन्य :		
1.सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स	-	-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
उपचित ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है		
मियादी जमा (सिंडिकेट बैंक के पास)	16,590,758.00	7,645,687.00
कुल	**16,590,758.00**	**7,645,687.00**

foRrh; fooj.k
dsnh; nRrd xg.k lalk/ku ikf/kdj.k
i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

31 मार्च, 2018 तक के vk; ,oa 0;; से संबंधित अनुसूचियां

¼jkf'k :Ik;ks esa½

C;kjk	2017-18	2016-17
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. चालू परिसंपत्तियां :	-	-
1. संपत्ति - सूची :	-	-
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) स्थायी खजाना	-	-
तैयार माल	-	-
प्रगति में कार्य		
कच्चा माल		
कुल	-	-
2. विविध देनदार :	-	-
क) छः माह से अधिक अवधि के ऋण		
ख) अन्य		
3. हस्तगत बकाया रोकड़ (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) :	12,016.00	16,461.00
4. बैंक में जमा राशि :		
क) अनुसूचित बैंकों में :		
* चालू खातों में		
* जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)		
* बचत खातों में	4,077,586.00	4,343,117.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
* चालू खातों में		
* जमा खातों में		
* बचत खातों में	-	-
कुल	-	-
5. डाकघर- बचत खाते		
कुल	**40,89,602.00**	**4,359,578.00**

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)		
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण :		
क) कर्मचारी (अनुलग्नक 'ख')	93,494.00	198,164.00
ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न/समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
2. अग्रिम और अन्य राशि की वसूली नगदी या वस्तू के रूप में प्राप्त किया जाना		
क) पूंजीगत खाते में		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य :		
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता	6,571,707.00	4,309,878.00
एनआईसी	3,826,136.00	4,793,083.00
के.लो.नि.वि.	8,985,172.00	8,985,172.00
अग्रिम वेतन(श्री दीपक कुमार- मुख्य कार्यकारी अधिकारी)		718,190.00
प्रतिभूति जमा	156,000.00	245,350.00
डीएवीपी	59,374,180.00	59,454,073.00
घ) डाक-व्यय अग्रिम	27,344.00	27,344.00
एनआईसीएसआई	5,260,474.00	7,302,835.00
डी.जी.एस. एण्ड डी.	63,459.00	63,459.00
संपत्ति निदेशालय	8,000.00	8,000.00
विदेशी अग्रिम यात्रा भत्ता	3,564.00	3,564.00
सीआईडीपीएचओ भोपाल	-	-
राष्ट्रीय फिल्म निर्माण निगम	25,000.00	-
3. उपार्जित आय :	30,732,894.00	11,902,854.00
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती फंड निवेश के लिए		
ख) अन्य निवेशों से (एफडीआर)		
ग) ऋणों एवं अग्रिम से	823,162.00	489,766.00
घ) अन्य (आय की वजह से अचेतन ब्याज प्राप्त करने योग्य रूपये.....- भी शामिल है		
अनुदान सहायता प्राप्त करने योग्य	420,005.00	431,058.00
4. दावों को प्राप्त करने योग्य	-	5,600,000.00
कुल (ख)	**116,370,591.00**	**104,532,790.00**
कुल (क+ ख)	**1204,60,193.00**	**1088,92,368.00**

foRrh; fooj.k
dinh; nRrd xg.k l1lk/ku ikf/kdj.k
i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubl fnYyh&110066

31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

¼jkf'k :Ik;k e½

C;kjk	2017-18	2016-17
अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकी		
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी)		
जोड़ें:- प्रारंभिक अव्ययित अनुदान	7,976,449	6,056,022
1) केंद्र सरकार	87,700,315	74,622,743
2) राज्य सरकार (रें)	3,360,603	7,976,449
3) सरकारी अभिकरण	475,021	3,291,449
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय		
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	**91,841,140**	**69,410,867**

foRrh; fooj.k
dinh; nRrd xg.k lalk/ku ikf/kdj.k
i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

¼jkf'k :Ik;k esa½

C;kjk	2017-18	2016-17
vuqlwph&14 'kqYd@ vfHknku		
प्रवेश शुल्क	-	-
वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-
सेमीनार/ कार्यक्रम शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क	-	-
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
जुर्माना	50000.00	-
dqy	**50,000.00**	**-**

foRrh; fooj.k

dsnzh; nRrd xzg.k lalk/ku ikf/kdj.k

i'fpeh [k.M & 8] fo:x & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

¼jkf'k :Ik;ksa esa½

C;kSjk	2017-18	2016-17
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज		
1) मियादी जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंको से (अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं)	744,270	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से		-
ग) संस्थाओं से		-
घ) अन्य		-
2) बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंको से		-
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से	924,290	1,487,176
ग) संस्थाओं से		
घ) अन्य		
3) ऋणों पर :		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) अन्य		
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज		-
कुल	**16,68,560**	**14,87,176**

नोट: स्रोत पर dj **कटौती का** mRrj[k.M fd;k tk,A

foRrh; fooj.k
dsanh; nRrd xzg.k lalk/ku ikf/kdj.k
i'fpeh [k.M & 8] fo'x & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

31 मार्च, 2018 rd dh आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

¼jkf'k :Ik;ksa esa½

C;kSjk	2017-18	2016-17
अनुसूची 18 - अन्य आय :		
1)परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां		
ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा नि:शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां		
2) वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4) विविध आय	145,233	13,145
पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री		
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट		
आरटीआई शुल्क	410	350
प्राप्त विदेशी अनुदान		30,947
अंतरराष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण शुल्क खाता)		-
एफएससी अभिलेख (छुट्टी वेतन) खाता	2,209	-
कुल	**147,852**	**44,442**

foRrh; fooj.k

dsnzh; nRrd xzg.k lalk/ku izkf/kdj.k

i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iqje] ubZ fnYyh&110066

31 मार्च, 2018 rd dh आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

jkf'k :Ik;ksa esa

C;kjk	2017-18	2016-17
अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :		
क) वेतन और मजदूरी	20,364,545	13,279,047
जनशक्ति प्रभार		-
ख) भत्ते, बोनस और मानदेय	86,744	219,706
ग) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	347,200	339,000
घ) पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान	535,204	367,450
ड़) चिकित्सा व्यय	343,557	180,806
च) छुट्टी यात्रा रियायत व्यय		-
छ) यूनीफार्म प्रभार	1,413,628	1,142,226
ज) भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	18,000	44,999
झ) ईडीएलआई (पीएफ)	150,904	122,732
ञ) ईपीएफ प्रशासन प्रभार	227,100	-
एफएससी	775,232	683,260
पट्टा किराया		-
ट) समायोपरि भत्ता		
उपदान प्रावधान	945,772	1,591,479
संचित छुट्टी वेतन प्रावधान	929,703	1,352,579
कुल क+ख	**26,137,589**	**19,323,284**

foRrh; fooj.k
dmh; nRrd xg.k lalk/ku ikf/kdj.k
i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-d- iije] ub fnYyh&110066

31 मार्च, 2018 rd d आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

¼jkf'k :Ik;ks e½

C;kjk	2017-18	2016-17
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन और प्रचार	9,740,022	16,300,502
लेखापरीक्षा शुल्क	286,520	125,200
बैंक प्रभार	2,646	3,053
केयरिंग्स शुल्क	5,838,927	-
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री	31,500	10,930
परामर्श प्रभार	10,962,195	7,025,597
वाहन व्यय	63,022	42,700
काउंसलिंग सेंटर	211,558	-
हिंदी पखवाड़ा व्यय	40,000	38,250
टीए / डीए सलाहकार समिति	677,318	-
हॉस्पिटैलटि	45,048	35,728
निरीक्षण और निगरानी व्यय	342,359	258,122
इंटर्नशिप व्यय	122,493	-
मानचित्रण एवं लिंकेज	143,051	-
बैठक व्यय	115,426	94,119
समाचार पत्र, किताबें और पत्रिकाओं	49,942	31,302
कार्यालय-व्यय	75,323	112,604
डाक और तार प्रभार	109,246	110,429
प्रिटिंग व्यय	218,673	94,873
व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी	81519	123451
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय	49,892	36,757
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव	78,143	205,684
कार्यालय फनीचर की मरम्मत एवं रखरखाव	106,380	6,800
कार्यालय उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव	40,043	104,620
अनुसंधान और मूल्यांकन व्यय	-	74087
सुरक्षा एवं सफाई व्यय	2,420,481	820,374
बैठक शुल्क	503,000	536,000
लेखन सामग्री	553,424	253,774
टेलीफोन प्रभार	897,884	355,939
निशुल्क हैल्पलाइन व्यय	824,653	980,317
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम व्यय	5,615,143	5,743,839
यात्रा व्यय	756,672	243,918
वाहन किराया (कार)	1,004,358	1,033,911
जल एवं विद्युत प्रभार	66,300	52,140
कुल	**42,073,161**	**34,855,020**

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक–8, विंग–2, दूसरा तल, आर.के.
पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची– 24

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार :

1. **लेखांकन रीति :**
वित्तीय विवरण लेखांकन उपर्जिन आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. **सामान सूची का मूल्यांकन :**
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3. **निवेश :**
"दीर्घकालिक निवेष" के रूप में वर्गीकृत निवेष लागत पर किए जाते है।

4. **स्थायी परिसंपततियां :**

4.1 स्थायी परिसंपततियां आवक माल भाड़े, षुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।

4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गईं स्थायी परिसंपततियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।

5. **मूल्यह्रास :**

5.1 मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिश्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर दिया जाता हैं।

क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर किया जाता है।

ख. 5000/– रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां पूर्णरूप से दी गई हैं।

ग. स्थायी परिसंपत्तियों का अवषिश्ट मूल्यं कुल लागत के 5 प्रतिशत की दर पर किया गया है।

6. **सरकारी अनुदान/सहायिकीः**

6.1 सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।

6.2 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विषिश्ट अनुदेष के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राषि, जब तक स्पश्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राषि के अंतर्गत दर्षाई गई है।

7. **पट्टा :**
पट्टा किराए की राषि पटटे की षर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।

8. **सेवानिवृत्ति लाभ :**

8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृतति पर देय उपदान की देयता वास्तविक गणना और यथानुपात आधार पर उपार्जित की जाती है।

8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उपचित किया जाता है और इसका परिकलन वास्तविक गणना और यथानुपात आधार पर किया जाता है।

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
वेस्ट ब्लॉक–8, विंग–2, दूसरा तल, आर.के.
पुरम, नई दिल्ली–110066

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची – 25

आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।

2. प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।

3. आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

4. पिछले वर्ष के तदनुरूपी / समतुल्य आंकड़े आवश्यकतानुसर पुनः एकत्रित / पुनः व्यवस्थित किए गए हैं। हालांकि, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के प्राप्ति और भुगतान विवरण के संबंध में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016–17 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई सूचना / सुझाव के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति और भुगतान खाते के आंकड़े केवल उक्त वर्ष के दौरान प्रत्येक शीर्ष / मद के तहत किए गए नकद भुगतान और नकद प्राप्तियां दर्शाते हैं। पिछले वर्ष व्यय शीर्ष / मद को छोड़कर, प्राप्ति पक्ष में दर्शाए गए आंकड़े उस वर्ष के प्रारंभिक शेष दर्शा रहे है और भुगतान पक्ष उस विशेष शीष / मद के तहत अंतिम शेष राशि दर्शा रहे है। तदनुसार प्राप्ति और भुगतान में वित्तीय वर्ष 2017–18 के आंकड़ों की तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है।

5. अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं ।___

6 पिछलें वर्ष, 2016–17 में, कंप्यूटर और परिधीय पर मूल्यह्रास 1,74,888 रुपये की राशि अतिरिक्त चार्ज किया गया है, जिसे अब संशोधित किया गया था और तदनुसार जिसे वर्तमान वर्ष के मूल्यह्रास में वापिस जोडा गया है। (अनुसूची 8 का संदर्भ लें)

7 वर्तमान वर्ष 2017–18 योजना और गैर–योजना खातों को संविलीन कर दिया गया है और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, तदनुसार,, योजना और गैर–योजना खातों के संबंध में चालू वर्ष 2017–18 के वित्तीय विवरणों में कोई विभाजन नहीं किया गया है।

foRrh; fooj.k

dsUnh; nRrd xg.k lalk/ku ikf/kdj.k **28**

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

çf'k{k.k ,oa tkx:drk dk;Øeksa ds fy, vfxze

31.3.2018 rd dh fLFkfr vuqyXud &[k

Øe-la-	xSj ljdkjh laxBu@ljdkjh dk;kZy; dk uke	fuefä dh frfFk	jkf'k
1	आईसीसीडब्लयू, नई दिल्ली	19.8/10.9.2008	618,860
2	यशोदा पुणे		55,000
3	निदेशक डब्ल्यूसीडी, रायपुर	03.06.2010	164,320
4	निदेशक डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ	18.06.2010	164,320
5	निदेशक डब्ल्यूसीडी,आंध्र प्रदेश	24.02.2011	248,808
6	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02.09.2011	99,704
7	आईसीडीएस सोसायटी, बैंगलुरू, कर्नाटक	20.10.2011	54,400
8	निदेशक डब्ल्यूसीडी बैंगलोर	26.06.2013	17
9	चौयरमैन, वीसीए, हैदराबाद	1/17/2014	36,585
10	आयुक्त, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014	237,510
11	निदेशक गोआ लोक प्रशासन संस्थान	10.03.2015	109,592
12	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी (आईएमसीटीआई)	7/4/2015	180,250
13	निदेशक, एसडब्ल्यू और बाल संरक्षण सोसायटी, रांची	12/10/2015	199,490
14	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एपी एसपीई महिला एवं बाल विजयवाडा	3/10/2016	179,632
15	एनआईपीसीसीडी, लखनऊ	13.01.2017	410,896
16	निदेशक समाजिक न्याय, चेन्नई	15.3.2017	449,327
17	निदेशक, यूटीआई, पांडिचेरी	21.06.2017	187,831
18	निदेशक, एसडब्ल्यू, पंचकुला, हरियाणा	27.07.2017	180,849
19	बाल संरक्षण सोसायटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	09.08.2017	302,655
20	सदस्य सचिव, सारा, मणिपुर	12.09.2017	319,753
21	एक्सिस कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	10.01.2018	42,000
22	एक्सिस कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	11.01.2018	25,000
23	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी	19.01.2018	390,240
24	महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी	06.03.2018	117,173
25	एनआईपीसीसीडी, लखनऊ	12.03.2018	524,910
26	निदेशक, आईसीपीएस, सिक्किम	13.03.2018	213,251
27	निदेशक, डब्ल्यूसीडी, केरल	15.03.2018	297,711
28	कर्नाटक समेकित बाल संरक्षण सोसाइट	15.03.2018	761,623
	dqy		**6,571,707**

	deपkfj;k dk _.k@vfxe		
d	deपkfj;k dk uke	cdk;k jkf'k ;Fkk	cdk;k jkf'k
		tnukd 31@03@2018	tnukd 31@03@2017
	R;kgkj vfxe		
	श्री प्रमोद कुमार–डीईओ		
	श्री रितेश आहूजा–डीईओ		
	श्री सजय कुमार–डीईओ		
	श्री देवेन्द्र कुमार		
	श्री रविेन्द्र सिह रावत–डीईओ		
	श्री विजय सिह		
	श्री भगता, चपरासी		
	d;y d		
[k	dE;wVj vfxe		
	श्री बी.के.साहू, उप निदेशक		
x	dkj vfxe		
	श्री बी.के.साहू, उप निदेशक		19,700
?k	LdwVj vfxe		
	श्री विजय सिह, स्टेनो	3000	10,500
	श्री रितेश आहूजा–डीईओ	7,500	14,000
	श्री भगता, निम्न वर्ग लिपिक	16000	22,000
	श्री प्रमोद कुमार–डीईओ	0	15,000
	श्री रविेन्द्र सिह रावत		
M	Vh, vfxe		
	श्री बी.के.साहू, उप निदेशक		48,964
	श्री जे एन शर्मा	41,000	
p	,yVhlh vfxe		
	विनीता झा	4,189	
N	vU;		
	अर्चना त्यागी	11,000	
	अर्पणा शर्मा	10,805	
	कुल ख	**93,494**	**130,164**
	कुल योग क ख ग घ	**93,494**	**130,164**

foRrh; fooj.k

dsUnzh; nRrd xzg.k lalk/ku izkf/kdj.k

i'fpeh [k.M & 8] fox & 2] f}rh; ry] vkj-ds- iqje] ubZ fnYyh&110066

;Fkk fnukad 31@03@2018 dk [kpZ gsrq

vuqyXud &x

Øe-la-	ikso/kku [kpZ	'kh"kZ [kpkZ dk fooj.k	jkf'k
1	यात्रा खर्च खाता	दिनांक 23/03/2018 को कर्नल दीपक कुमार, सीईओ, कारा के भुवनेश्वर यात्रा का	20161.00
2	मानदेय/टीए/डीए/सलाह	सुश्री सुषमा खरखवाल, सलाहकार समिति के सदस्य का दिल्ली से मुराबाद यात्रा का	22686.00
3	दूरभाष शुल्क	टाटा टेली सर्वसिस का टाटा फोटोन प्रभार	3428.00
4	इंर्टशिप शुल्क	मुस्कान गायेल को इंर्टनशिप शुल्क 10/2/18 to 28/2/18	4643.00
5	पानी और बिजली शुल्क	मार्च 2018 हेतु पानी का शुल्क	5100.00
6	दूरभाष शुल्क दत्तक ग्रहण हेल्पलाइन शुल्क	कार्यालय और दत्तक ग्रहण हैल्पलाइन दूरभाष प्रभार (28,771+9235)	38006.00
7	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुल्क खाता	डॉ के.सी.जार्ज का कोची में प्रशिक्षण हेतु टीए/डीए	42702.00
8	मानदेय/टीए/डीए/सलाहाकार समिति	चेन्नई यात्रा हेतु शिवानंद डमबल का टीए/डीए भुगतान	8701.00
9	इंर्टशिप शुल्क	मार्च माह हेतु सुश्री मुस्कान गोयल का भुगतान किया गया	6452.00
10	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	इंर्टनशिप शुल्क रितेश आहूजा के चिकित्सा बिल	18288.00
11	स्टेश्नरी खर्च	जेम के माध्यम से विभिन्न पार्टिया	35073.00
12	आरटीएफ खाता	सीईओ कारा को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	31500.00
13	अखबार और पत्रिकायें	मार्च 2018 हेतु सेंट्रल न्यूज एजेंसी जेम के माध्यम से	1784.00
14	स्टेश्नरी खर्च	स्टेश्नरी की खरीद	14082.00
15	ऑडिट शुल्क खाता	सी एंड एजी और आंतरिक लेखापरीक्षण शुल्क	120000.00
16	पिछले वर्ष हेतु प्रावधान (शेष बकाया)	सीपीडब्ल्यूडी हेतु अग्रिम	704546.00
	dqy		**1077152.00**

टिप्पणी

''प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।''

CARA

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
पश्चिमी खंड –8, विंग–2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
टोल फ्री नं. 1800–11–1311, फैक्स– 91–011–26180198
ईमेल– carahdesk.wcd@nic.in,
वेबसाइट– www.cara.nic.in

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066
टोल फ्री नं. : 1800-11-1311, टेलीफैक्स : +91-11-26180198
ई–मेल : carahdesk.wcd@nic.in, वैबसाइट : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women & Child Development, Government of India
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R. K. Puram, New Delhi-110066
Toll Free No. : 1800-11-1311, Telefax : +91-11-26180198
E-mail : carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in